रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31, 1948 शक संवत्) [संख्या 34

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	463–468	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	701–710	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	1–14	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1643-1716	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

29 मई, 2024 ई0

सं0 I/570831/2024—विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदया उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के विशेष वेतनमान, वेतन बैंड-4, रु0 37,400—67,000 ग्रेड पे रु0 8,700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारीगण को उच्चतर वेतनमान, वेतन बैंड-4, रु0 37,400—67,000 ग्रेड पे रु0 8,900 (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं0	अधिकारी का नाम/बैच एवं पदनाम
1	2
	सर्वश्री—
1	विजय शंकर दूबे, 2007, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मथुरा।
2	सत्य प्रकाश, 2007, रजिस्ट्रार, उ0प्र0 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3	जगदम्बा प्रसाद गुप्ता, 2007, अपर आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोंण्डा।
4	अरुण कुमार सिंह-1, 2007, अपर आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
5	साहब लाल, 2007, अपर अधिकारी (ना/आ), लखनऊ।
6	बृज किशोर, 2007, अपर आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
7	राम दुलारे पाण्डेय, 2007, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
8	कुँवर बहादुर सिंह, 2007, अपर आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

2— यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र-संख्या-437/उ0प्र0-लो0स0/उ0अ0-III/2024(Ref), दिनांक 07 मई, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनापति एवं सक्षम स्तर के अनुमोदनपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

07 जून, 2024 ई0

सं0 I/663904/2024—उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान, वेतन बैंड-4, 37,400—67,000, ग्रेड पे रु0 8,900 (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में पदोन्नति हेतु दिनांक 13 सितम्बर, 2023 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। तत्समय श्री महेन्द्र कुमार मिश्र, पी0सी0एस0 2006 के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित/प्रचलित होने के कारण उक्त वेतनमान में श्री मिश्र की प्रोन्नति नहीं हो सकी तथा इनके सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मोहर बन्द लिफाफे में रखी गयी। श्री महेन्द्र कुमार मिश्र से

कनिष्ठ अधिकारी को दिनांक 13 सितम्बर, 2023 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2023 द्वारा उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नत किया जा चुका है। श्री मिश्र के विरूद्ध कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1228/दो-2-2022-22/2(15)2007, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-I/515525/2024, File No. 02-2001(003)/15/2022-2, दिनांक 07 मार्च, 2024 द्वारा बिना दण्ड के समाप्त होने एवं दिनांक 13 सितम्बर, 2023 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री महेन्द्र कुमार मिश्र, पी0सी0एस0 2006, अपर आयुक्त (प्रशासन), झांसी मण्डल, झांसी को उच्चतर वेतनमान, वेतन बैंड-4, 37,400–67,000, ग्रेड पे रु0 8,900 (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 22 सितम्बर, 2023 से प्राकल्पिक प्रोन्नति प्रदान करने की महामहिम राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– चूंकि श्री मिश्र अपने कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 22 सितम्बर, 2023 को अपर आयुक्त (प्रशासन) झांसी मण्डल, झांसी के पद पर तैनात थे, जो उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान, वेतन बैंड-4, 37,400–67,000, ग्रेड पे रु0 8,900 (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में स्वीकृत पद है। श्री महेन्द्र कुमार मिश्र वर्तमान में भी अपर आयुक्त (प्रशासन) झांसी मण्डल, झांसी के पद पर तैनात हैं। अतः श्री महेन्द्र कुमार मिश्र, पी0सी0एस0-2006, अपर आयुक्त (प्रशासन) झांसी मण्डल, झांसी को शासनादेश दिनांक 28 मई, 1997 में निहित व्यवस्थानानुसार प्राकल्पिक प्रोन्नति की तिथि 22 सितम्बर, 2023 के अवशेष वेतन का एरियर भी देय होगा।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-5

प्रोन्नति

30 जून, 2024 ई0

सं0 1308/दो-5-2024-19/1(7)/90–श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1991 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को नियत वेतनमान रु0 2,25,000/- (सातवें वेतन आयोग में यथासंशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-17) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हैं–

क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2
	सर्वश्री–
1–	लक्कु वेंकटेश्वरलू
2–	बाबू लाल मीना

सं0 1309/दो-5-2024-19/1(7)/90–श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1991 बैच के प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में तैनात/कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को नियत वेतनमान रु0 2,25,000/- (सातवें वेतन आयोग में यथासंशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-17) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करते हैं–

क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2
	(सर्वश्री / श्रीमती)–
1–	कामरान रिजवी
2–	निवेदिता शुक्ला वर्मा

01 जुलाई, 2024 ई0

सं0 1307 / दो-5-2024-35(27) / 2020–कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-140 / 22(2) / 2022-AIS-I दिनांक 12 मार्च, 2024 के माध्यम से सेलेक्ट लिस्ट-2015 के सापेक्ष राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत निम्नलिखित आई0ए0एस0 अधिकारियों को वर्ष 2010 के स्थान पर 2009 बैच आवंटित किया गया है–

क्रमांक	आई0ए0एस0 अधिकारी का नाम
1	2
	सर्वश्री–
1.	इन्द्र विक्रम सिंह
2.	डॉ0 हीरा लाल
3.	राम यज्ञ मिश्र (से0नि0)
4.	शैलेन्द्र कुमार सिंह
5.	प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव
6.	राकेश कुमार सिंह
7.	फैसल आफताब (से0नि0)
8.	दीप चन्द्र (से0नि0)
9.	अमर नाथ उपाध्याय
10.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह
11.	साहब सिंह
12.	श्रीश चन्द्र वर्मा (से0नि0)
13.	स्व0 सुशील कुमार मौर्य
14.	मानवेन्द्र सिंह
15.	अटल कुमार राय
16.	नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

2– उपरोक्त अधिकारियों में से क्रमांक-7, 8 एवं 13 पर उल्लिखित अधिकारियों को छोड़कर शेष अधिकारियों को नियुक्ति अनुभाग-5 की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-1678/दो-5-2022-35(27)/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,100–2,15,900 (पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) दिनांक 01 जनवरी, 2023 से स्वीकृत किया गया था।

3– कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-140/22(2)/2022-AIS-I, दिनांक 12 मार्च, 2024 के माध्यम से प्रस्तर-1 में उल्लिखित अधिकारियों को वर्ष 2010 के स्थान पर 2009 बैच परिवर्तन के पश्चात क्रमांक-8 एवं 13 को छोडते हुए शेष अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से सेलेक्शन ग्रेड/वेतनमान रु0 1,23,100–2,15,900 (पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में प्रोन्नति/नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्रमांक	आई0ए0एस0 अधिकारी का नाम	
1	2	
	सर्वश्री–	
1.	इन्द्र विक्रम सिंह	
2.	डॉ0 हीरा लाल	
3.	राम यज्ञ मिश्र (से0नि0)	नोशनल प्रोन्नति
4.	शैलेन्द्र कुमार सिंह	
5.	प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव (से0नि0)	नोशनल प्रोन्नति
6.	राकेश कुमार सिंह	
7.	फैसल आफताब (से0नि0)	नोशनल प्रोन्नति
8.	अमर नाथ उपाध्याय	
9.	डॉ अनिल कुमार सिंह	
10.	साहब सिंह	
11.	श्रीश चन्द्र वर्मा (से0नि0)	नोशनल प्रोन्नति
12.	मानवेन्द्र सिंह	
13.	अटल कुमार राय	
14.	नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	

आज्ञा से,
विजय कुमार,
विशेष सचिव।

20 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 I/749172/2024—श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1992 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को नियत वेतनमान रु0 2,25,000/- (सातवें वेतन आयोग में यथासंशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-17) में दिनांक 01 सितम्बर, 2024 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	**अधिकारी का नाम**	बैच
1	2	3
	सर्वश्री—	
1—	नरेन्द्र भूषण	1992
2—	अनुराग श्रीवास्तव	1992

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—21 हिन्दी गजट—भाग 1—2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी, कानपुर नगर

प्रारूप-19

(नियम-27 का उपनियम (11)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अधीन)

अधिसूचना

04 मई, 2026 ई0

सं0 281/आठ-अ0जि0(भू0अ0)कानपुर नगर–चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना सं0-1956/आठ-अ0जि0(भू0अ0)-कानपुर नगर/दिनांक 08 दिसम्बर, 2025, लोक प्रयोजन, अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जनपद कानपुर देहात, तहसील-अकबरपुर में एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट एवं बल्क डिस्पैच टर्मिनल की स्थापना हेतु ग्राम-रसूलपुर गोगूमऊ की 0.1243 हे0, सुल्तानपुर पेराजोर की 1.0885 हे0 व लोदीपुर की 0.2116 हे0 भूमि सहित कुल 1.4244 हे0 भूमि अर्जित करने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0-30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और राजकीय गजट में दिनांक 10 जनवरी, 2026 तथा दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''हिन्दुस्तान'' में दिनांक 16 जनवरी, 2026 को प्रकाशित की गई थीं।

2– उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कलेक्टर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करते है कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची ''ख'' में यथा– प्रदत्त ग्राम, तहसील और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हित नही की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नही है)।

3– कलेक्टर अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रकाशन करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निर्देश देते है। चूंकि जनपद-कानपुर देहात, तहसील-अकबरपुर में एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट एवं बल्क डिस्पैच टर्मिनल की स्थापना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नही है। अतएवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश के प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है–

अनुसूची ''क''

प्रस्तावित अर्जनाधीन भूमि

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर–
कानपुर देहात	अकबरपुर	रसूलपुर गोगूमऊ	19	0.0500
			23	0.0440
			36	0.0236
			38ख	0.0067
			योग. .	**0.1243**
		सुल्तानपुर पेराजोर	271	0.4000
			274	0.6810
			327	0.0013
			337ख	0.0062
			योग. .	**1.0885**
		लोदीपुर	1216ख	0.2116
			कुल योग. .	**1.4244**

अनुसूची ''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर–
कानपुर देहात	अकबरपुर	रसूलपुर गोगूमऊ, सुल्तानपुर पेराजोर व लोदीपुर	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नही है)

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड कानपुर नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
कानपुर, देहात।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR

FORM-19

[Sub-rule (11) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

May 04, 2026

No. 281/VIII/A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar–Since the preliminary notification No.1956/VIII-A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar/Dated 08.12.2025, for the acquisition of a total of 1.4244 hectares of land, including 0.1243 hectares of Village-Rasulpur Gogumau, 1.0885 hectares of Sultanpur Perajor and 0.2116 hectares of land of Lodipur, for the establishment of L.P.G. bottling plant and bulk dispatch terminal in Akbarpur-Tehsil of Kanpur-Dehat, District by Bharat Petroleum Corporation Limited, was issued under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Official *Gazette* on the dated 10.01.2026 and published in the daily newspapers "Dainik Jagran" and "Hindustan" on 16.01.2026.

2. After considering the report submitted in accordance with the provisions of Sub-section (2) of Section 15 of the said Act, the Collector hereby declares under Sub-section (1) of Section 19 of the said Act

that he is satisfied that the area of land mentioned in Schedule A below is required for public purpose and that no land in the Village, Tehsil and District as provided in Schedule B has been earmarked for Rehabilitation and Resettlement of displaced families (no family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

3. The Collector further directs to publish a declaration to this effect under Sub-section (2) of Section 19 of the said Act alongwith the publication of the Rehabilitation and Resettlement Plan in brief. Whereas, in the District-Kanpur Dehat, Tehsil-Akbarpur, there is an L.P.G. bottling plant and the land acquisition for the establishment of the Bulk Dispatch Terminal is not likely to displace any families. Therefore, there is no need to identify any land for Rehabilitation and Resettlement or to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement plan–

SCHEDULE "A"

(Land Under Proposed Acquisition)

District	Tahsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
				Hectares
Kanpur Dehat	Akbarpur	Rasulpur Gogumau	19	0.0500
			23	0.0440
			36	0.0236
			38 Kha	0.0067
			Total. .	**0.1243**
		Sultanpur Perajor	271	0.4000
			274	0.6810
			327	0.0013
			337 Kha	0.0062
			Total. .	**1.0885**
		Lodipur	1216 Kha	0.2116
			Grand Total. .	**1.4244**

SCHEDULE "B"

(Land Marked as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tahsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
				Hectares
Kanpur Dehat	Akbarpur	Rasulpur Gogumau, Sultanpur Perajor & Lodipur	NIL	NIL

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)

Note- A Site map of the said land can be seen in the Office of Additional District Magistrate (Land Acquisition) 37/17 Westcott Building, Mall Road, Kanpur Nagar.

(Sd.) Illegible,
Collector,
Kanpur-Dehat.

कार्यालय, जिलाधिकारी, मीरजापुर

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

30 जून, 2026 ई0

सं0 9833/आठ वि0भू0अ0अ0(सिं0) मीरजापुर–कार्यालय सशस्त्र पुलिस प्रषिक्षण विद्यालय चुनार, मीरजापुर द्वारा जनपद-मीरजापुर में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के सर्वांगपूर्ण विकास हेतु ग्राम-समसपुर, तहसील-चुनार में रकबा–8.4080हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0–9258/आठ–वि0भू0अ0अ0(सिं0) मीरजापुर/दिनांक–18.03.2026 को निर्गत की गयी जिसके गजट का प्रकाशन दिनांक–26.04.2026 को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। डिप्टी कलेक्टर चुनार, मीरजापुर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उप धारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल रकबा–8.4080हे0 सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देती है कि अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु मीरजापुर कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है :–

अनुसूची ''क''
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मीरजापुर	चुनार	हवेली	समसपुर	432	0.3160
				433	0.1140
				434	0.1520
				438/1	0.1900
				439	0.2780
				441	0.3790
				442/1	0.2530
				443/1	0.2280
				444	0.2020
				445	0.5560
				446	0.2530
				446/1	0.1010
				446/3	0.1260
				516/2	0.4810
				516/1	0.5060
				454/1	0.1260
				468/1	0.3540
				469	0.8850
				470मि0	0.8470
				471/1	0.3160
				472/1	0.2020
				465/1	0.1900
				465/2	0.1900
				466	0.2400
				464/1	0.5060
				463	0.4170
				योग ...	**8.4080**

अनुसूची–''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

अनुसूची **''क''** में उल्लिखित भूमि के अर्जन से कोई भी कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा, विषेश भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर/कलेक्टर मीरजापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय चुनार, मीरजापुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु जिला-मीरजापुर, तहसील-चुनार, परगना-हवेली, ग्राम-समसपुर में स्थित रकबा–8.4080हे0 भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना सं0–9258/आठ–वि0भू0अ0अ0(सिं0) मीरजापुर/दिनांक–18.03.2026 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है :–

अधिसूचित गाटा संख्याओं में प्रभावित भू-स्वामी विस्थापित नहीं हो रहे है।

नोट :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
समुचित सरकार/कलेक्टर,
मीरजापुर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MIRZAPUR

Form-19

(Sub-rule (1) of the Rule 27)

Declaration By Appropriate Government/Collector

Under Sub-Section(1) of Section 19 of the Act

NOTIFICATION

June 30, 2026

No. 9833/VIII-S.L.A.O.(IRR.)Mirzapur–The Office of the Armed Police Training School, Chunar, Mirzapur, for the comprehensive development of the Armed Police Training School in District-Mirzapur, in respect of acquisition of land measuring 8.4080 hectares situated at Village-Samaspur, Tehsil-Chunar, under Section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, had issued the Preliminary Notification No. 9258/VIII-S.L.A.O. (IRR.) Mirzapur dated 18.03.2026, the Gazette publication of which was published in two daily newspapers on 26.04.2026. The Deputy Collector, Chunar, Mirzapur was appointed as the Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the Project Affected Families.

In compliance with the provisions of Sub-section (2) of Section 15 of the Act, after consideration of the report submitted by the Collector, the Governor directs issuance of a declaration under Section 19(1) of the Act, being satisfied that the land described in Schedule "A", having an area of 8.4080 hectares, is required for a public purpose. The Governor further directs the Collector-Mirzapur, to publish the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme alongwith publication of this declaration under Sub-section (2) of Section 19 of the Act. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is annexed herewith :

Schedule "A"

(Land proposed for acquisition**)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Mirzapur	Chunar	Haveli	Samaspur	432	0.3160
				433	0.1140
				434	0.1520
				438/1	0.1900
				439	0.2780
				441	0.3790
				442/1	0.2530
				443/1	0.2280
				444	0.2020

1	2	3	4	5	6
					Hectares
				445	0.5560
				446	0.2530
				446/1	0.1010
				446/3	0.1260
				516/2	0.4810
				516/1	0.5060
				454/1	0.1260
				468/1	0.3540
				469	0.8850
				470मि0	0.8470
				471/1	0.3160
				472/1	0.2020
				465/1	0.1900
				465/2	0.1900
				466	0.2400
				464/1	0.5060
				463	0.4170
				Total...	**8.4080**

Schedule – "B"

(Land identified as resettlement area for displaced families**)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares

No family is being displaced due to acquisition of the land mentioned in Schedule "A".

Note: The site map of the said land may be inspected in the Office of the Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Mirzapur / Collector, Mirzapur.

Notification of Declaration by the Collector

[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act **]**

Through the Office of the Armed Police Training School, Chunar, Mirzapur, for the public purpose of construction work of the Armed Police Training School, in respect of 8.4080 hectares of land situated in Village-Samaspur, Pargana-Haveli, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur, the declaration has been published by me in continuation of Notification No. 9258/VIII-S.L.A.O. (IRR.)Mirzapur dated 18.03.2026, and the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme has been annexed alongwith the Government Notification. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is as follows:

The affected landowners in the notified plot numbers are not being displaced.

Note:– The site map of the said land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) Illegible,
Appropriate Government/Collector,
Mirzapur.

पी0एस0यू0पी0–21 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31, 1948 शक संवत्)

भाग 2

आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Administrative Section

Notification

June 01, 2026

No. 389/IVg-27/Admin.(A-3); Allahabad–In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 19 of the Bengal, Agra and Assam, Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) as amended by Section 2 of the Uttar Pradesh Civil Laws (Amendment) Act, 2015 (U.P. Act No. 14 of 2015), the High Court is pleased to direct that from the date of its publication in the Official Gazette, the jurisdiction of the Civil Judge (Junior Division) named below shall extend to all the original suits cognizable by Civil Courts of such value not exceeding five lakh rupees: -

Sl. No.	Name of Officer	Date of joining	Present place of posting
1	2	3	4
	(Sri/Sushri/Smt.)–		
1.	SHRUTI SINGH	06.01.2024	Prayagraj
2.	NEHA KUMARI BIND	05.01.2024	LARRA Prayagraj
3.	ADESH KUMAR SRIVASTAVA	05.01.2024	Siddharthnagar
4.	ABHAY DEEP VISHWAKARMA	05.01.2024	Nyayadhikari:Koraon Prayagraj
5.	RAVI KANT YADAV-II	05.01.2024	Nyayadhikari:Gauriganj Sultanpur

1	2	3	4
	(Sri/Sushri/Smt.)–		
6.	KAMENDRA NATH CHAUDHARI	08.01.2024	Nyayadhikari:Phoolpur Prayagraj
7.	JAHNAVI VERMA	05.01.2024	Nyayadhikari:Alapur Ambedkar Nagar
8.	AASHREE SAH	05.01.2024	Nyayadhikari:Jalalpur Ambedkar Nagar
9.	RASHMI SINGH-II	05.01.2024	Hasanpur-Amroha
10.	NIHARIKA YADAV	05.01.2024	Azamgarh
11.	VANSHIKA SRIVASTAVA	08.01.2024	Azamgarh
12.	ADESH PRATAP SINGH	05.01.2024	Azamgarh
13.	ANAMIKA SINGH-II	05.01.2024	Azamgarh
14.	RAVI KANT SHARMA	05.01.2024	Azamgarh
15.	AKSHAT SONKAR	05.01.2024	Azamgarh
16.	SAURABH KUMAR	09.01.2024	Azamgarh
17.	AASTHA DWIVEDI	05.01.2024	Azamgarh
18.	SHIVALI MISRA	06.01.2024	Bahraich
19.	SHEETAL SINGH	05.01.2024	Bahraich
20.	ARJITA VERMA	05.01.2024	Bahraich
21.	TUBA FATIMA	05.01.2024	Sultanpur
22.	RUPALI TIWARI	06.01.2024	Bahraich
23.	AVNEESH KUMAR-III	23.07.2020	Moradabad
24.	SNIGDHA PRADHAN	05.01.2024	Ballia
25.	PRIYANKA YADAV	10.01.2024	Ballia
26.	VIVASVAN PRAKASH	05.01.2024	Ballia
27.	SURBHI SINGH	05.01.2024	Ballia
28.	URFI AZMI	05.01.2024	Nyayadhikari: Belthra Road Ballia
29.	ASHUTOSH SINGH-II	12.01.2024	Nyayadhikari : Rasra Ballia
30.	NEERU ANAND	08.01.2024	Balrampur
31.	SIDDHANT SOLANKI	05.01.2024	Utraula-Balrampur
32.	RENU GAUTAM	05.01.2024	Balrampur
33.	ASTHA SINGH	05.01.2024	Nyayadhikari-Tulsipur Balrampur
34.	MUNI KUMAR SINGH	05.01.2024	Atarra-Banda

1	2	3	4
	(Sri/Sushri/Smt.)–		
35.	ALOK KUMAR VERMA	16.01.2024	Nyayadhikari-Naraini Banda
36.	SHREYANSH SRIVASTAVA	05.01.2024	Basti
37.	SNEHIL SRIVASTAVA	05.01.2024	Basti
38.	ANKITA-II	05.01.2024	Basti
39.	SATYABHAMA KAUSHIKEI	05.01.2024	Basti
40.	ASHUTOSH SHUKLA	05.01.2024	Nyayadhikari-Rudauli Basti
41.	YASHI PANDEY	06.01.2024	Basti
42.	ANSHUMAN	14.12.2021	Bhadohi
43.	NEELAM SINGH	05.01.2024	Bhadohi
44.	DISHA OMRE	05.01.2024	Bhadohi
45.	MONICA KALRA	10.01.2024	Bulandshahar
46.	SANJANA RAO	05.01.2024	Bulandshahar
47.	KARISHMA SEHDEV	08.01.2024	Bulandshahar
48.	SHIVANI	05.01.2024	Chandauli
49.	S. ANAND	12.01.2024	Mau-Chitrakoot
50.	NAVNEET KUMAR SINGH-II	05.01.2024	Deoria
51.	ADITYA NATH SHARMA	05.01.2024	Deoria
52.	JAGRATI KESARWANI	05.01.2024	Etah
53.	ARPIT TYAGI	11.01.2024	Moradabad
54.	GARIMA ARYA	08.01.2024	Etah
55.	AANCHAL MALIK	08.01.2024	Saharanpur
56.	MOHIT KUMAR	05.01.2024	Jalesar Etah
57.	SACHIN KUMAR	05.01.2024	Nyayadhikari-Aliganj Etah
58.	ARUSHI SHARMA	05.01.2024	Etawah
59.	SWATI YADAV	08.01.2024	LARRA Ayodhya
60.	NIVEDITA SINGH-II	05.01.2024	Ayodhya
61.	RUPALI SINGH	06.01.2024	Ayodhya
62.	HIMANSHU VERMA	05.01.2024	Nyayadhikari-Rudauli Ayodhya
63.	AJAY KUMAR	05.01.2024	Unnao
64.	SUBUK MUSKAN	05.01.2024	Farrukhabad

1	2	3	4
	(Sri/Sushri/Smt.)–		
65.	PRASHANT KAUSHIK	08.01.2024	Farrukhabad
66.	GULAFSHA	05.01.2024	Farrukhabad
67.	SHWETA KASHYAP	05.01.2024	Farrukhabad
68.	ANAMIKA-I	05.01.2024	Farrukhabad
69.	SHOBHA RANI	05.01.2024	Farrukhabad
70.	DEEPIKA RANI	05.01.2024	Farrukhabad
71.	JYOTI SAGAR	05.01.2024	Farrukhabad
72.	SHIVANI SINGH-IV	06.01.2024	Farrukhabad
73.	RAJ VARDHAN TIWARI	05.01.2024	Nyayadhikari-Bindki Fatehpur
74.	SONAL SAHU	08.01.2024	Fatehpur
75.	ANIND UMRAO	23.01.2024	Fatehpur
76.	PRIYANSHI YADAV	05.01.2024	Fatehpur
77.	VIMMY SINGH	06.01.2024	Fatehpur
78.	PRIYANKA GAUTAM	05.01.2024	Fatehpur
79.	SAGAR TAYAL	03.12.2022	Budaun
80.	PRABHAT KUMAR	05.01.2024	Gautam Buddha Nagar
81.	SIDDHARTH KUMAR	05.01.2024	Gautam Buddha Nagar
82.	HAZIQUE HUSAIN ANSARI	05.01.2024	Mohammabadbad-Ghazipur
83.	ANKIT BARANWAL	05.01.2024	Saidpur-Ghazipur
84.	AKANKSHA MISHRA	05.01.2024	Gorakhpur
85.	VIVEK DUBEY	05.01.2024	Gorakhpur
86.	RATANJEET JAISAWAL	05.01.2024	Gorakhpur
87.	RAMESH SINGH	05.01.2024	Bansgaon-Gorakhpur
88.	ALKA BHARTI-II	05.01.2024	Unnao
89.	AVINASH MAURYA	05.01.2024	Nyayadhikari-Chauri Chaura Gorakhpur
90.	DHIRENDRA KUMAR	05.01.2024	Jhansi
91.	MOHAMMAD ADIL ANSARI	29.01.2024	Gorakhpur
92.	KIRTI MISHRA	05.01.2024	Hamirpur
93.	PRAKHAR TIWARI	05.01.2024	Nyayadhikari Patiyali-Kasganj

1	2	3	4
	(Sri/Sushri/Smt.)–		
94.	MOHAMMAD YOUNIS	06.01.2024	Hardoi
95.	KEERTI SINGH	05.01.2024	Hardoi
96.	PRIYANKA CHAUDHARY	05.01.2024	Mathura
97.	SAKSHI CHAUDHARY	05.01.2024	Hardoi
98.	LAVLESH KUMAR	05.01.2024	Hardoi
99.	VISHAL DIXIT	05.01.2024	Hardoi
100.	NIKITA SINGH-I	05.01.2024	Jalaun
101.	VINAY KUMAR CHAHAR	05.01.2024	Nyayadhikari-Madhogarh Jalaun
102.	SATYAM SHUKLA	06.01.2024	Shahganj Jaunpur
103.	MEDHA KUSHWAHA	05.01.2024	Jaunpur
104.	ADITI SRIVASTAVA	05.01.2024	Jaunpur
105.	DIVYA BHARTI	05.01.2024	Jaunpur
106.	ROLI TIWARI	12.01.2024	Jaunpur
107.	ANJALI SINGH	05.01.2024	Jaunpur
108.	PRIYA SHARMA	08.01.2024	Jaunpur
109.	RAMSHA TANWIR	05.01.2024	Jaunpur
110.	KHUSHBOO DHANKAR	05.01.2024	Jhansi
111.	ANKIT KAUSHIK	05.01.2024	Kannauj
112.	ANKIT TIWARI	05.01.2024	Nyayadhikari-Tirwa Kannauj
113.	MEENAKSHI VERMA	05.01.2024	Kannauj
114.	KHUSHBOO SHARMA	05.01.2024	Moradabad
115.	MANJU	08.01.2024	Deoria
116.	SALONI	05.01.2024	Kanpur Nagar
117.	AKSHAY KUMAR	05.01.2024	Kanpur Nagar
118.	SHIVANI SINGH-III	05.01.2024	Kanpur Nagar
119.	SHIV SHANKAR DOHARE	05.01.2024	Kanpur Nagar
120.	NEHA KESHLA	05.01.2024	Kanpur Nagar
121.	ADITI GARG	05.01.2024	Kasganj
122.	SACHIN SINGH	05.01.2024	Kasganj
123.	RUBY	05.01.2024	Bareilly

1	2	3	4
	(Sri/Sushri/Smt.)–		
124.	AKANSHA	05.01.2024	Kasganj
125.	SARVESH KUMAR PANDEY	05.01.2024	Kasia: Kushinagar at Padrauna
126.	MAROOF ANSARI	05.01.2024	Lakhimpur Kheri
127.	MOHAMMAD KASIM	05.01.2024	Lakhimpur Kheri
128.	SHILPI GUPTA	05.01.2024	Lakhimpur Kheri
129.	SHIVAM YADAV	05.01.2024	Lucknow
130.	DHEERAJ VERMA	05.01.2024	Lucknow
131.	PRATIBHA SINGH	05.01.2024	Lucknow
132.	ROHIT YADAV	08.01.2024	Lucknow
133.	ANUBHAV JAISWAL	05.01.2024	Lucknow
134.	VISHWANATH	05.01.2024	Lucknow
135.	AVINASH KUMAR	05.01.2024	Lucknow
136.	VIPASHA GHANGORIA	05.01.2024	Maharajganj
137.	AMAN DEEP	09.01.2024	Nyayadhikari: Nichlaual Maharajganj
138.	VIBHA	05.01.2024	Maharajganj
139.	NEHA SINGH-II	05.01.2024	Maharajganj
140.	NIKITA SINGH-II	16.01.2024	Mahoba
141.	SIDHINATH SINGH SENGAR	11.01.2024	Mahoba
142.	SHISHIR YADAV	05.01.2024	Mahoba
143.	FOZIYA JAHAN	05.01.2024	Mainpuri
144.	PREETI SHUKLA	06.01.2024	Mainpuri
145.	APARNA SINGH	05.01.2024	Mainpuri
146.	AKHIL CHOUDHARY	06.01.2024	Mainpuri
147.	RASHMI SINGH	05.01.2024	Prayagraj
148.	MONU	05.01.2024	Mainpuri
149.	MAMTA YADAV	05.01.2024	Mau
150.	KAJAL SRIVASTAVA	06.01.2024	Mau
151.	STUTI SONKER	08.01.2024	Mau
152.	JYOTI SHARMA	05.01.2024	Meerut
153.	KASHISH AGGARWAL	05.01.2024	Meerut

1	2	3	4
	(Sri/Sushri/Smt.)–		
154.	ANKIT	05.01.2024	Meerut
155.	PARVEEN	05.01.2024	Meerut
156.	AISHWARYA YADAV	05.01.2024	Kushinagar
157.	ABHISHEK SINGH	05.01.2024	Mirzapur
158.	ANKUR KUMAR	16.01.2023	Nyaydhikari-Karhal Mainpuri
159.	SHRISTI SHUKLA	06.01.2024	Chitrakoot
160.	KUSUM VERMA	05.01.2024	Pratapgarh
161.	SANKALP PANDEY	05.01.2024	Pratapgarh
162.	ASHISH TRIPATHI	05.01.2024	Pratapgarh
163.	NEELANCHAL CHOUDHARY	09.01.2024	Raebareli
164.	VINAY SHEEL	05.01.2024	Raebareli
165.	SAMRIDDHI MISHRA-II	08.01.2024	Raebareli
166.	SHRISTY SHUKLA	05.01.2024	Garotha-Jhansi
167.	PARITOSH PRAKASH	05.01.2024	Nyayadhikari:Unchahar Raebareli
168.	SRISHTI SINGH	06.01.2024	Raebareli
169.	HARSHITA SINGH-II	05.01.2024	Raebareli
170.	DEEPAK KUMAR	05.01.2024	Kanpur Dehat
171.	PRINCE TOMAR	04.01.2024	Kanpur Dehat
172.	HARSHIT AGARWAL	06.01.2024	Kanpur Dehat
173.	PRINCE	05.01.2024	Kanpur Dehat
174.	SAKSHI DHAMA	06.01.2024	Kanpur Dehat
175.	MOHD. ASIM CHAUDHARY	05.01.2024	Kanpur Dehat
176.	PUSHPENDRA KUMAR GAUTAM	06.01.2024	Prayagraj
177.	ANJALI	05.01.2024	Jhansi
178.	VIKAS KUMAR	06.01.2024	Nyayadhikari-Bilhaur Kanpur Dehat
179.	RAVEENA	05.01.2024	Kanpur Dehat
180.	PRAJJAWAL AGRAWAL	05.01.2024	Saharanpur
181.	DIVYA GARG	05.01.2024	Sambhal
182.	DIVYA CHINDALIYA	05.01.2024	Sambhal
183.	SHREY KUMAR VERMA	05.01.2024	Siddharth Nagar
184.	RICHA CHAUDHARY	08.01.2024	Siddharth Nagar

1	2	3	4
	(Sri/Sushri/Smt.)–		
185.	AKSHI GILL	05.01.2024	Sitapur
186.	TANMAY JAISWAL	09.01.2024	Nyayadhikari-Sidhauli Sitapur
187.	PRIYA MISHRA	05.01.2024	Sitapur
188.	ANJU YADAV	05.01.2024	Sitapur
189.	MANUJ KRISHNA MISHRA	05.01.2024	Nyayadhikari-Laharpur Sitapur
190.	AKANKSHA PIPIL	05.01.2024	Sitapur
191.	SHIVESH RAJ JAISWAL	10.01.2024	Nyayadhikari Kirawali Agra
192.	AAKRITI PRAKASH	06.01.2024	Kanpur Nagar
193.	DHIRENDRA KUMAR SONKAR	08.01.2024	Duddhi-Sonbhadra
194.	NITYANAND TYAGI	05.01.2024	Nyayadhikari: Etmadpur Agra
195.	NEERAJ YADAV	19.01.2024	Nyayadhikari:-Amethi Sultanpur
196.	HRITIKA SRIVASTAVA	05.01.2024	Sultanpur
197.	BUSHRA NAZ ANSARI	05.01.2024	Sultanpur
198.	SONALI SONI	17.01.2024	Sultanpur
199.	MANISH KUMAR	05.01.2024	Sultanpur
200.	BRIJENDRA SWAROOP	05.01.2024	Kushinagar-
201.	SUDHIR KUMAR	05.01.2024	Sultanpur
202.	RADHIKA RAJ	05.01.2024	Sultanpur
203.	ANUKRITI RAWAT	05.01.2024	Sultanpur
204.	PRIYANKA DIWAKAR	05.01.2024	Sultanpur
205.	SATYENDRA KUMAR MISHRA	05.01.2024	Sultanpur
206.	AKANKSHA AWASTHI	04.01.2024	Nyayadhikari-Bangarmau Unnao
207.	HARSHDA GANGWAR	05.01.2024	Unnao
208.	HIMANI GAUTAM	05.01.2024	Purva-Unnao
209.	PRATEEK GUPTA	05.01.2024	Prayagraj
210.	AHAD AHMAD	05.01.2024	Varanasi
211.	VISHNU VERMA	05.01.2024	Varanasi
212.	HIMANSHI SONKER	05.01.2024	Varanasi
213.	TARUN KUMAR SINGH-II	05.01.2024	Varanasi

By Order of the Court,

Manjeet Singh Sheoran,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ADMINISTRATIVE (E-1) SECTION

NOTIFICATION

July 31, 2026

No. 409/XC-3/Admin.(E-1) Section/2027–The proposed List of Holidays to be observed in the High Court of Judicature at Allahabad including its Bench at Lucknow during the year 2027, is being published for suggestions and objections, if any, before it is finally sanctioned under section 15 of Act No. XII of 1887 and section 47 of U.P. Act No. IV of 1925.

Any one desirous of making any suggestions/objections may do so in writing to the Registrar General of the Court within fifteen days of publication of this Notification in the Gazette after which the list will be taken up for consideration and sanction :–

Proposed list of holidays to be observed in the High Court of Judicature at Allahabad including its bench at Lucknow during the year-2027

Sl. No.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the Week	No. of days
1	2	3	4	5
1.	New Year's Day	January 01, 2027	Friday	1
2.	Makar Sankranti	January 14, 2027	Thursday	1
3.	Republic Day	January 26, 2027	Tuesday	1
4.	Basant Panchami	February 11, 2027	Thursday	1
5.	Mahashivratri	March 06, 2027	Saturday	1
6.	*Id-ul-Fitra	March 10, 2027	Wednesday	1
7.	Holi, Holidays	March 20 to 24, 2027	Saturday to Wednesday	5
8.	Ambedkar Jayanti	April 14, 2027	Wednesday	1
9.	Ram Navami	April 15, 2027	Thursday	1
10.	*Id-ul-Zuha	May 17, 2027	Monday	1
11.	Summer Vacation	June 01 to 30, 2027	Tuesday to Wednesday	30
12.	*Moharram	June 16, 2027	Wednesday	1
13.	Independence Day	August 15, 2027	Sunday	1
14.	*Barawafat	August 16, 2027	Monday	1
15.	Raksha Bandhan	August 17, 2027	Tuesday	1
16.	Janmashtami	August 25, 2027	Wednesday	1
17.	Gandhi Jayanti	October 02, 2027	Saturday	1
18.	Dashehra Holidays	October 05 to 11, 2027	Tuesday to Monday	7
19.	Deepawali Holidays	October 27 to 31,2027	Wednesday to Sunday	5
20.	Guru Nanak Jayanti & Kartik Purnima	November 14, 2027	Sunday	1
21.	Winter Holidays	December 24 to 31, 2027	Friday to Friday	8

Notes :–

1. The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the local visibility of the Moon. If there is no change, no notification shall be issued.

2. Second Saturday of each month will be a holiday.

3. Saturday, February 06, 2027 will be a local holiday on account of Mauni Amavasya only for Allahabad.

4. Friday, March 05, 2027 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.

5. Friday, March 26, 2027 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.

6. Tuesday, May 25, 2027 will be a local holiday on account of Mahavir-Ji-Ka-Mela only for Lucknow Bench of the Court.

7. There is a separate list of holidays for the District Judiciary of Allahabad High Court.

By Order of the Court,

Manjeet Singh Sheoran, *H.J.S.*
Registrar General.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई–1) अनुभाग

विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2026 ई0

सं0 410/XC-3/प्रशासनिक(ई-1)अनु0/2027–इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ सहित वर्ष 2027 में जिन पर्वों पर बन्द रहेगा, उन प्रस्तावित अवकाशों की सूची ऐक्ट संख्या XII सन् 1887 की धारा 15 तथा उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या IV सन् 1925 की धारा 47 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के पूर्व सुझाव तथा आपत्ति, यदि कोई हो, के हेतु प्रकाशित की जाती है।

कोई व्यक्ति, यदि कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे, तो उसको लिखित रूप से महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है जिसके उपरान्त इस सूची पर विचार कर अंतिम रूप दिया जायेगा।

प्रस्तावित अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ सहित वर्ष 2027 में बन्द रहेगा

क्र0 सं0	पर्व/छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1	2	3	4	5
1.	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी, 2027	शुक्रवार	1
2.	मकर संक्रान्ति	14 जनवरी, 2027	बृहस्पतिवार	1
3.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2027	मंगलवार	1

1	2	3	4	5
4.	बसंत पंचमी	11 फरवरी, 2027	बृहस्पतिवार	1
5.	महाशिवरात्रि	06 मार्च, 2027	शनिवार	1
6.	*ईद–उल–फ़ित्र	10 मार्च, 2027	बुधवार	1
7.	होली अवकाश	20 से 24 मार्च, 2027	शनिवार से बुधवार	5
8.	अम्बेडकर जयंती	14 अप्रैल, 2027	बुधवार	1
9.	रामनवमी	15 अप्रैल, 2027	बृहस्पतिवार	1
10.	*ईद–उल–जुहा	17 मई, 2027	सोमवार	1
11.	ग्रीष्मावकाश	1 से 30 जून, 2027	मंगलवार से बुधवार	30
12.	*मोहर्रम	16 जून, 2027	बुधवार	1
13.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2027	रविवार	1
14.	*बारावफात	16 अगस्त, 2027	सोमवार	1
15.	रक्षाबंधन	17 अगस्त, 2027	मंगलवार	1
16.	जन्माष्टमी	25 अगस्त, 2027	बुधवार	1
17.	गांधी जयंती	02 अक्टूबर, 2027	शनिवार	1
18.	दशहरा अवकाश	05 से 11 अक्टूबर, 2027	मंगलवार से सोमवार	7
19.	दीपावली अवकाश	27 से 31 अक्टूबर, 2027	बुधवार से रविवार	5
20.	गुरूनानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा	14 नवम्बर, 2027	रविवार	1
21.	शीतकालीन अवकाश	24 से 31 दिसम्बर, 2027	शुक्रवार से शुक्रवार	8

टिप्पणी–

1. तारांकित (*) तिथियां स्थानीय चँद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती हैं। यदि तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी ।

2. प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।

3. **शनिवार, 06 फरवरी, 2027** को मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में केवल इलाहाबाद के लिये स्थानीय अवकाश रहेगा।

4. शुक्रवार, 05 मार्च, 2027 को रमज़ान के अंतिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

5. शुक्रवार, 26 मार्च, 2027 को गुड-फ्राईडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

6. मंगलवार, 25 मई, 2027 को 'महावीर जी का मेला' के उपलक्ष्य में केवल लखनऊ पीठ के लिए स्थानीय अवकाश रहेगा।

7. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालयों के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,

मंजीत सिंह श्योराण, उ0न्या0से0
महानिबन्धक।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Administrative (E-1) Section

Notification

July 31, 2026

No. 411/XC-4/Admin.(E-1)/2027/Allahabad–The proposed List of Holidays to be observed in the District Judiciary of Allahabad High Court during the year 2027, is being published for suggestions and objections, if any, before it is finally sanctioned under section 15 of Act No. XII of 1887 and section 47 of U.P. Act No. IV of 1925.

Any one desirous of making any suggestions/objections may do so in writing to the Registrar General of the Court within fifteen days of publication of this Notification in the Gazette after which the list will be taken up for consideration and sanction :–

Proposed list of holidays to be observed in the District Judiciary of Allahabad High Court during the year-2027

Sl. No.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the Week	No. of days
1	2	3	4	5
1.	Republic Day	January 26, 2027	Tuesday	1
2.	Mahashivratri	March 06, 2027	Saturday	1
3.	*Id-ul-Fitra	March 10, 2027	Wednesday	1
4.	Holi, Holidays	March 21& 22, 2027	Sunday & Monday	2
5.	Ram Navami	April 15, 2027	Thursday	1
6.	*Id-ul-Zuha	May 17, 2027	Monday	1
7.	**Summer Vacation	June 01 to 30, 2027	Tuesday to Wednesday	-
8.	*Moharram	June 16, 2027	Wednesday	1
9.	Independence Day	August 15, 2027	Sunday	1
10.	Janmashtami	August 25, 2027	Wednesday	1
11.	Gandhi Jayanti	October 02, 2027	Saturday	1
12.	Dashehra	October 10, 2027	Sunday	1
13.	Deepawali Holidays	October 29 & 30, 2027	Friday & Saturday	2
14.	Christmas Day	December 25, 2027	Saturday	1
15.	Winter Holidays	December 26 to 31, 2027	Sunday to Friday	6

Notes :–

1. The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the local visibility of the Moon.

2. Second Saturday of each month will be a holiday.

3. The District Judge shall declare five days local holidays in consultation with the District Magistrate.

4. Friday, March 05, 2027 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.

5. Friday, March 26, 2027 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.

6. **Only Civil Work (except urgent matters) will be suspended during the period of Summer Vacation whereas the work related to Criminal Cases shall continue as usual.

7. In case any of the National or other holidays mentioned in the Calendar falls on Second Saturday or on a Sunday, it will be up to the District Judge to declare in its place additional days as holidays.

8. There shall not be less than 265 working days in the District Judiciary of Allahabad High Court in a year.

9. Every Fourth Saturday shall be holiday only for Judicial Officers but working day for all purposes for other staff of the District Judiciary of Allahabad High Court.

10. There is a separate list of holidays for the High Court.

By Order of the Court,

Manjeet Singh Sheoran, *H.J.S.*
Registrar General.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई–1) अनुभाग

विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2026 ई0

सं0 412/XC-4/प्रशासनिक(ई-1)अनु0/2027–इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालय वर्ष 2027 में जिन पर्वों पर बन्द रहेंगे उन प्रस्तावित अवकाशों की सूची ऐक्ट सं0 XII सन् 1887 की धारा 15 तथा उत्तर प्रदेश ऐक्ट सं0 IV सन् 1925 की धारा 47 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के पूर्व सुझाव तथा आपत्ति, यदि कोई हो, के हेतु प्रकाशित की जाती है।

कोई व्यक्ति, यदि कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे तो उसको लिखित रूप से महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है जिसके उपरान्त इस सूची पर विचार कर अन्तिम रूप दिया जायेगा।

प्रस्तावित अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालय वर्ष 2027 में बन्द रहेंगे

क्रम संख्या	पर्व/छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1	2	3	4	5
1.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2027	मंगलवार	1
2.	महाशिवरात्रि	06 मार्च, 2027	शनिवार	1
3.	*ईद–उल–फ़ित्र	10 मार्च, 2027	बुधवार	1

1	2	3	4	5
4.	होली अवकाश	21 एवं 22, मार्च, 2027	रविवार एवं सोमवार	2
5.	रामनवमी	15 अप्रैल, 2027	बृहस्पतिवार	1
6.	*ईद-उल-जुहा	17 मई, 2027	सोमवार	1
7.	**ग्रीष्मावकाश	01 से 30 जून, 2027	मंगलवार से बुधवार	—
8.	*मोहर्रम	16 जून, 2027	बुधवार	1
9.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2027	रविवार	1
10.	जन्माष्टमी	25 अगस्त, 2027	बुधवार	1
11.	गांधी जयंती	02 अक्टूबर, 2027	शनिवार	1
12.	दशहरा	10 अक्टूबर, 2027	रविवार	1
13.	दीपावली अवकाश	29 एवं 30 अक्टूबर, 2027	शुक्रवार एवं शनिवार	2
14.	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2027	शनिवार	1
15.	शीतकालीन अवकाश	26 से 31 दिसम्बर, 2027	रविवार से शुक्रवार	6

टिप्पणी–

1. तारांकित (*) तिथियॉ स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती हैं।

2. प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।

3. जनपद न्यायाधीश पाँच दिन का स्थानीय अवकाश ज़िला मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श करके निश्चित एवं घोषित करेंगे।

4. शुक्रवार, 05 मार्च, 2027 को रमज़ान के अंतिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

5. शुक्रवार, 26 मार्च, 2027 को गुड-फ्राइडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिए निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

6. **ग्रीष्मावकाश की अवधि में केवल सिविल कार्य (अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर) स्थगित रहेंगे, जबकि आपराधिक मामलों की सुनवाई यथावत् जारी रहेगी।

7. यदि कैलेण्डर में वर्णित कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश, द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ता है, तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश के रुप में घोषित कर सकते हैं।

8. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालयों में कार्य-दिवस एक वर्ष में 265 दिन से कम नही रहेगा।

9. प्रत्येक मास के चतुर्थ शनिवार को केवल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवकाश रहेगा परन्तु अन्य कर्मचारियों के लिए कार्यदिवस रहेगा।

10. उच्च न्यायालय के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,

मंजीत सिंह श्योराण, उ0न्या0से0
महानिबन्धक।

पी0एस0यू0पी0–21 हिन्दी गजट–भाग 2–2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर

25 मई, 2026 ई0

सं0 345/न0प0परि0सिद्धार्थनगर/2025-26–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0) नगर पालिका (अधिनियम संख्या-02 सन् 1916) की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड सात और धारा 298 की उपधारा (2) की सूची शीर्षक (ज) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली सम्बंधी आर्दश (उपविधि) नियमावली सरकारी गजट उ0प्र0, इलाहाबाद, शनिवार 13 जनवरी, 2018 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त प्रकाशित गजट में अनेकों प्रकार के व्यावसायिक क्रियाकलापों को संचालित करने वालों के दर में कुछ त्रुटि हो गये थी, जिन्हे शामिल करने के लिए विज्ञापन कर निर्धारण (उपविधि) की दरों को निर्धारित कर व्यावसायिक, नागरिकों की आपत्ति एवं सुझाव दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 21 जुलाई, 2024 एवं दैनिक बुद्ध का संदेश में दिनांक 21 जुलाई, 2024 को प्रकाशित कराकर आमन्त्रित किये गये थे, निर्धारित अवधि 15 (पन्द्रह) दिन में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की दशा में बोर्ड प्रस्ताव में सर्वसम्मति से अन्तिम रूप से गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली सम्बन्धी आर्दश उपविधि, नियमावली को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

1– संक्षिप्त नाम प्रसाद एवं प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि, 2024 कही जायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर की सीमा में प्रवृत्ति होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर में प्रभावी होगी।

अनुसूची-2

(नियम 25 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट की दरें

1– भूमि दिवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए।

निर्धारित दर	संशोधित निर्धारित दर
वर्गीकरण श्रेणी–देय वार्षिक कर	**वर्गीकरण श्रेणी–देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)**
प्रवर श्रेणी – रु0 1000.00 प्रतिवर्ष	प्रवर श्रेणी – रु0 1200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी – रु0 600.00 प्रतिवर्ष	अ श्रेणी – रु0 7000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी – रु0 500.00 प्रतिवर्ष	ब श्रेणी – रु0 600.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी – रु0 400.00 प्रतिवर्ष	स श्रेणी – रु0 500.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

2– यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रानिक प्रकाशयुक्त द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विर्निदष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होगी।

3– (1)– शक्ति चलित चार पहिया वाहन एवं अन्य पर सचल विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

वर्गीकरण श्रेणी देय वार्षिक कर प्रतिवाहन/प्रतिवर्ष	वर्गीकरण श्रेणी देय वार्षिक कर प्रतिवाहन/प्रतिवर्ष
हल्का वाहन – रु0 2,000.00 प्रति वर्ष प्रति वाहन	हल्का वाहन – रु0 5,000.00 प्रति वर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन – रु0 1,000.00 प्रति वर्ष प्रति वाहन	भारी वाहन – रु0 2,000.00 प्रति वर्ष प्रति वाहन
(2)– सड़क प्रदर्शन (रोड शो) निम्नलिखित दर पर–	(2)– सड़क प्रदर्शन (रोड शो) निम्नलिखित दर पर–
(1)– तीन पहिया – रु0 50.00 प्रति दिन	(1)– तीन पहिया – रु0 100.00 प्रति दिन
(2)– चार पहिया – रु0 250.00 प्रति दिन	(2)– चार पहिया – रु0 500.00 प्रति दिन
(3)– छः पहिया – रु0 500.00 प्रति दिन	(3)– छः पहिया – रु0 1,000.00 प्रति दिन

4– विद्युत तथा अन्य खम्भो पर विज्ञापन पट्ट–

वर्गीकरण श्रेणी–देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)	वर्गीकरण श्रेणी–देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी – रु0 1,500.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष	प्रवर श्रेणी – रु0 3,000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी– रु0 1,000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष	अ श्रेणी– रु0 2,000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी – रु0 750.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष	ब श्रेणी – रु0 1,500.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी – रु0 500.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष	स श्रेणी – रु0 1,000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
5– पोस्टर – रु0 300.00 (प्रति सैकड़ा)	5– पोस्टर – रु0 300.00 (प्रति सैकड़ा)
6– परचा – रु0 600.00 (प्रति सैकड़ा)	6– परचा – रु0 600.00 (प्रति सैकड़ा)
7– पताका (बैनर) – रु0 100.00 (प्रति बैनर)	7– पताका (बैनर) – रु0 100.00 (प्रति बैनर)

8– विद्युत या इलेक्ट्रानिक युक्त/परिवर्तनशील संदेह चिन्ह सहित।

वर्गीकरण श्रेणी–देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)	वर्गीकरण श्रेणी–देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी – रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष	प्रवर श्रेणी – रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी– रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष	अ श्रेणी– रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी – रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष	ब श्रेणी – रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी – रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष	स श्रेणी – रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
9– गुब्बारे – रु0 300.00 प्रति सैकड़ा	9– गुब्बारे – रु0 300.00 प्रति सैकड़ा
10– छतरी – रु0 600.00 (प्रति सैकड़ा)	10– छतरी – रु0 600.00 (प्रति सैकड़ा)
11– एक स्तम्भ – रु0 उपर्युक्त मद 1 के अनुसार	11– एक स्तम्भ – रु0 उपर्युक्त मद 1 के अनुसार
12– अन्य प्रकार के विज्ञापन उपर्युक्त मद 4 के	12– अन्य प्रकार के विज्ञापन उपर्युक्त मद 4 के

9– भूमि दिवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर यूनिकपोल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए।

निर्धारित दर–

वर्गीकरण श्रेणी–देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)

प्रवर श्रेणी – रु0 1,600.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

अ श्रेणी – रु0 1,400.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

ब श्रेणी – रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

स श्रेणी – रु0 1,000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

स्पष्टीकरण–

1– इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षो की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

2– स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत वृद्धि के गणना के उद्देश्य से रूपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।

3– कर आग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

4– यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 मास से अधिक नही होती है तो विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

5– यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी (नगर पालिका/नगर पंचायत का नाम) निर्देश दे सकता है कि कर मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किस्त में वसूला जायेगा ।

6– कर की सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

7– उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरों का 60 प्रतिशत श्रेणी-1 व 2 की नगर पालिका परिषदों में 50 प्रतिशत अन्य नगर पालिका परिषद में एवं 40 प्रतिशत नगर पंचायतों में प्रभारीरत की जायेगी।

इस प्रकार संशोधित निर्धारित दर पर किसी प्रकार पर किसी को कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो सूचना प्रकाशन तिथि से पन्द्रह दिन अन्दर अपना लिखित सुझाव कार्यालय मे आकर दे सकते है, यदि इसके बाद कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त होत है तो उस पर कोई विचार नही किया जायेगा। गजट मे प्रकाशित पार्किंग शुल्क की वसूली गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा। जिसके नियम व शर्ते पूर्वत ही रहेगी।

गोविन्द माधव,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
सिद्धार्थनगर

कार्यालय, नगर पंचायत पाकबड़ा (मुरादाबाद)

05 जुलाई, 2025 ई0

सं0 200 / न0पं0पा0 / 2025-26–कार्यालय नगर पंचायत पाकबड़ा के पत्र सं०–07/न०पं०पा०/2025–26–उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 (अधिनियम सं० 2 सन् 1916) की धारा–147 और धारा 298 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ''ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी–स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेट तत्सम्बन्धी और प्रासंगिक अथवा अनुसंगिक मामलों के लिये उपविधि'' प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा 301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या–30 के प्रस्तर संख्या–04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, तत्कम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक आज मे दिनांक 05 जून, 2025 एवं दैनिक शाहटाइम्स 05 जून, 2025 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमांत्रित किया गया। निर्धारित समयवाधि 30 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या–30 के प्रस्तर संख्या–04 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिये निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकार–ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति, 2019

(ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन की राष्ट्रीय नीति, 2017

(ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन 2013

(घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन ऐक्ट–2013

(च) आईएस कोड-2470 भाग-I और-II, 1985 (1996 रीअफर्म्ड) सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिये कार्य व्यवहार संहिता

(छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता सम्बन्धी, जैसे कि यू.पी. जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)–

ये उपविधि नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद भवनों पर लागू होगा।

1. संक्षेप शीर्षक, विस्तार और आरंभ–

(1) इन उपविधियों को नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) उपविधि, 2025 कहा जा सकता है।

(ii) ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज–पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2. परिभाषा–

(i) एक्सेस कवर का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक पिट में अंदर जाने के लिये छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो।

(ii) अपेलेट बॉडी निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से सम्बन्धित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है।

(iii) फीकल स्लज या सेप्टेज का को–ट्रीटमेंट उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिये से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन–साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है।

(iv) को–ट्रीटमेंट फैसिलिटी का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिये पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो।

(v) विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिये प्रयुक्त होते हैं।

(vi) नियुक्त अधिकारी निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिये अथवा उसे सौंपे गये किसी अन्य कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया हो।

(vii) डिस्लजिंग का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया।

(viii) निस्तारण का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहनः

(ix) एफ्लूयंट का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव)

(x) फीकत स्लज एवं सेप्टेज का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री।

(xi) फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र।

(xii) ग्रे वाटर का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है।

(xiii) होस्ट यूएलबी का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख-रखाव के लिये जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेटेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय होस्ट बना रहेगा।

(xiv) ईनसैनिटरी लेट्रिन्स का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल–कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है।

(xv) लाइसेंस का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है।

(xvi) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

(xvii) अधिसूचित स्थान का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान,

(xviii) ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस) ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस–पास के भूखण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखण्ड पर स्वच्छता घरेलू शौचालय के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधायें हो सकती है।

(xix) ऑपरेटर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।

(xx) मालिक का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो।

(xxi) व्यक्ति का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से हे एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कम्पनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कम्पनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं।

(xxii) सैनिटरी लेट्रिन्स का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किये गये डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो।

(xxiii) सेप्टिक टैंक भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड-2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(xxiv) शेडयूल्ड डीस्लजिंग का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2–3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

(xxv) सेप्टेज का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किये हुये सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

(xxvi) सीवेज का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर / यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

(xxvii) सीवर वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

(xxviii) सीवेज पम्पिंग स्टेशन का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

(xxix) सीवेज उपचार संयंत्र का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

(xxx) निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिये निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिये गये कर्मचारी।

(xxxi) परिवहन या ढुलाई का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

(xxxii) उपचार का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिये एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलोजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिये तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

(xxxiii) उपचार सुविधा का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

(xxxiv) यूएलबी क्लस्टर का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिये होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

(xxxv) निकाय पंजीकृत (वैक्यूम) टैंक का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

(xxxvi) निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर) ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिये बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये भी किया जाता है।

(xxxvii) अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर) यूज्ड वॉटर का अर्थ घरेलू व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा–जल नालियों के माध्यम से बहाया है. इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

(xxxviii) कर्मी का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिये नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुये हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किये गये हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

3. परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण–

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं है) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थातः

1. यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिये कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करे।

ii- अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

iii- यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाये, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन–पिट या सोक–पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड -2470 भाग -1 और -2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट–1)।

iv- वे परिपत्तियाँ जो प्रतिदिन X किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर XX वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जायें ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। सम्पति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिये उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4. मालिक या अभिग्राही के कर्त्व्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिये जिम्मेदार होंगे।

1. उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले अपने उपयोग किये जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लैट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख -रखाव करेंगे।

5–ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव

1. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना आईएस कोड -2470 भाग -1 और 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय समय पर किये गये संशोधित प्रावधान अथवा नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

ii-ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख -रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिये जिम्मेदार होंगे।

iii-परिसर का मालिक निकाय का नाम) द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2–3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

iv- परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

V- परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

vi- नियमों के पालन के लिये (निकाय का नाम) या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद समय–सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबन्धन और निस्तारण से सम्बन्धित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिये परिसर के मालिक के लिये चेतावनी जारी कर सकता है।

vii- नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद अपने विवेक पर, गैर–अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग / सुधार के लिये संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिये लाइसेंस और पंजीकरण

6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

i- नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवायें प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

ii- नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद अपने कर्मियों सहित ओपेरटरों के लिये आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियों करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिये उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिये जागरुक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

iii- जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट–4) की मदद से इसके लिये आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

iv- निकाय का नाम ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिये लाइसेंस जारी करेगा।

v- इन विनियमों के फॉर्म -2 (परिशिष्ट–5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7. लाइसेंस जारी करने की शर्ते

i- लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (XXI) में परिभाषित ''व्यक्ति'' से होगा।

ii - आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिये या ऐसा वाहन उसे किराये पर लेना चाहिए।

iii- (जनपद मुरादाबाद) में परिचालन के लिये वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण -पत्र होगा।

iv - आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पंचायत पाकबड़ा के साथ पंजीकृत करेगा।

v- आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिये गये मानदंडों को पूरा करते हैं।

vi- आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पंचायत पाकबड़ा या उसके द्वारा किराये पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिये नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

vii- आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लेस रखा जायेगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिये आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट–3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8. लाइसेंस के लिये आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट–4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म–2, परिशिष्ट–5)।

9. लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुये समय–समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

10. लाइसेंस के लिये पंजीकरण शुल्क

नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिये समय–समय पर नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1 पंजीकरण के शुल्क और वैधता

i-ऑपरेटर के रूप में नये निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु. 1000.00 ।

ii-पंजीकरण की वैधताः पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 1 वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक), तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

iii- लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु. 2000.00

11. लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा समय–समय पर अपनी वेबसाइट के साथ–साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12. जागरुकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ–साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, दुलाई और निस्तारण हेतु नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाया जायेगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन / संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)।

13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा

i- भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकत स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिये नगर पंचायत पाकबड़ा के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

ii- मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट–6 देखें)।

14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/दुलाई का शुल्क

i-समय–समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

ii - शहर में जब कभी नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा ''शेड्यूल्ड डीस्लजिंग'' पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को सफाई शुल्क से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

iii- लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

iv- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिये अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिये निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई के वाहन

i- फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और दुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत पाकबड़ा के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

ii- आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिये पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

iii- डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिये समय–समय पर नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

iv- ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पंचायत पाकबड़ा वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

V-वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिये) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और मलकुंड अपशिष्ट (हिंदी में) लिखा होगा।

vi- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार अधिशासी अधिकारी और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिये निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16. दुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिये डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस धारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंस धारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिये पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों / उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किये जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19. नियुक्त कर्मियों के लिये सुरक्षा – उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस–डिटेक्टर, गैस–मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिये लाइसेंस धारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण

i-लाइसेंस धारी ऑपरेटर नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा समय–समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

ii- लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट–6 देखें)।

iii- होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार

i-निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म–4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकत स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिये होस्ट यूएलबी बन जाएगा।

ii- नगर पंचायत पाकबड़ा होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किये गय वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

iii- नगर पंचायत पाकबड़ा वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

iv- संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा किया जाएगा।

v- होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे ''उपचार सुविधा'' में निस्तारित किया जा सकता है।

vi- एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि ''होस्ट यूएलबी'' को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य

i-निकाय या ग्राम पंचायत [जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम] होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिये क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

ii-निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी / सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

iii-यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेटेज के लिये एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

iv- नगर पंचायत पाकबड़ा विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

v-होस्ट यूएलबी संग्रहीत किये जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

vi- यदि ''होस्ट यूएलबी'' की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिये कम पड़ जाता है, तो नगर पंचायत पाकबड़ा को एक नए ''होस्ट यूएलबी'' की खोज करनी चाहिए या नए ''उपचार सुविधा'' के निर्माण के लिये केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23. कर्मियों का प्रशिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, दुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिये उत्तरदायी होगा।

24. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर को समय–समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25. बीमा

लाइसेंस धारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गय कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27–03–2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिये बीमा किया जाएगा।

26. लाइसेंस रद्द किया जाना

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय–समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान

i- नगर पंचायत पाकबड़ा उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत पाकबड़ा के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेटेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

ii- उपचार सुविधा के अभाव में नगर पंचायत पाकबड़ा आस पास के होस्ट यूएलबी जिसमे सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)

iii - फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु (निकाय का नाम) के आसपास के क्षेत्र में ''क्लस्टर यूएलबी'' की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये अवसंरचना का निर्माण

नगर पंचायत पाकबड़ा जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गये फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिये अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29. फीकत स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति

i-फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिये नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी]

ii- फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम ''उपचार सुविधा'' में स्थानांतरित करने या इसे ''होस्ट यूएलबी'' के ''उपचार सुविधा'' में भेजने के लिये निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं।

30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय

[निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी)] द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय–समय पर निकाय (या होस्ट यूएलबी लागू हो)। द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण

नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार / निस्तारण करने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा।

33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकत स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

प्रशासन और प्रवर्तन

34. प्रशासन और प्रवर्तन

i-इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ [(नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी], अथवा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

ii- नगर पंचायत पाकबड़ा फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिये समय–समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिये, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिये भुगतान करना होगा।

iii- नगर पंचायत पाकबड़ा शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

iv नगर पंचायत पाकबड़ा फीकत स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिये सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिये एक इमर्जन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

35. जांच के लिये विशेष शक्ति

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पंचायत पाकबड़ा के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36. नियम उल्लंघन और जुर्माना

i-इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिये नोटिस भेजा जाएगा।

ii- किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

iii- इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट–8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्तिथि में एफ एस एस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

iv- जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट–8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय–समय पर नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा तय किये जाने वाले जुर्माना के साथ दंडनीय होगा।

v-संदेह दूर करने के लिये, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिये या चूक के लिये उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37. अपील

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट–9 देखें)

38. विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पंचायत पाकबड़ा के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुये आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

परिशिष्ट

(खण्ड .....और ..... देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिये बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिये यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिये यह आबादी को ध्यान में रखते हुये डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गये हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिये इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गये हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिये ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

आपताकारः लंबाई और चौड़ाई का अनुपातः से

गहराई से मी, के बीच

दो कक्षः पहला कक्ष कुल लम्बाई का

तीन कक्षः पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा

मशीन–छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर

निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक।

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी0)
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1–सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिये। इस बारे में जानकारी के लिये, कृपया बी0आई0एस0 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2–फ्री बोर्ड के लिये 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिये।

स्रोत–सीवरेज और मल जल उपचार पर मैनुअल–भाग ए इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012 ।

सेप्टिक टैंक की क्षमता–

बैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं है;

अवसादन (सेडीमेंटेशन)– निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिये प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिये 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है। फीकल स्लज डाइजेशनः डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए ।

फीकल स्लज और मल भंडारणः फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिये, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता 0.0002*365= 0.073 $m3$/कैपिटा की आवश्यकता होती है।

फ्री बोर्डः कम से कम 0.3 मी.

परिशिष्ट–2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद

फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिये उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र0 सं0	श्रेणी	रु0 में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3,000 लीटर तक)
1	2	3
1.	कच्चाघर/झोंपड़ी	350–450
2.	टिन शेड प्रकार का घर	750–850
3.	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1200–1700
4.	दुकान	1500–1800

1	2	3
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	1800–2200
6.	बैंक	2000–2500
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	800–1200
8.	रेस्टोरेंट	2000–2500
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2000–2500
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2500–2800
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3000–3200
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1200–1600
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1800–2200
14.	3–स्टार होटल	2800–3000
15.	5–स्टार होटल	3500–4000
16.	सरकारी स्कूल कॉलेज (1000 छात्र तक)	1000–1200
17.	सरकारी स्कूल कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1200–1500
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1800–2000
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2500–3000
20.	2–व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	1800–2000
21.	2–व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2800–3000
22.	4–व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2500–3000
23.	4–व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3500–4000
24.	मल्टीप्लेक्स	2000–2500
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1800–2200
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2200–2500
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2500–2800
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3000–3200
29.	विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल	2500–3500
30.	बार	2500–3000
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	2500–3000
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2800–3000
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1800–2000
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2200–2500

1	2	3
35.	पैथौलॉजिकल लैब	1500–2000
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2500–2800
37.	निजी अस्पताल (21–50 बिस्तर तक)	2500–3000
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3500–4000
39.	राईस मिल/अन्य मिल	2000–2500
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3000–4000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2000–2500

स्रोतः सेप्टेज प्रबन्धन के लिये उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोटः 1–उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकायद्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है

2–उपरोक्त श्रेणियां प्रति 3,000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किये गये कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट–3

(खण्ड (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए–

i- शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलियेस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करतें हैं

ii- शरीर की रक्षा सज्जा / सुरक्षा बेल्ट

iii- सर्जिकल फेस मास्क / रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

iv- सेपटी टॉर्च

V- भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

vi- संक्रामक पदार्थों को आँखों में जाने से रोकने के लिये रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

vii- टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिये मददगार होता है

viii- दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आस-पास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है

ix- आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट

x- गैस मॉनीटर

xi- हेड लैप

xii- गाइड पाइप सेट

xiii- सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

xiv- वेडर बूट

xv- एयर कम्प्रेसर और ब्लोअर

xvi- मॉडयूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

xvii- रेन कोट

परिशिष्ट–4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर पंचायत पाकबड़ा

Registration form for Private Desludging Operator.

फॉर्म 1: निकाय नगर पंचायत पाकबढ़ा में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिये लाइसेंस आवेदन पत्र–

1. आवेदक का नामः (श्री/सुश्री):.....

2 पताः .....

3. पंजीकृत कार्यालय का पता.....

4. टेलीफोन नम्बरः (कार्यालय).....(मो.).....ईमेल आईडीः.....

मल कीचड़ साफ करने वाले वाहनों का विवरण

क्र0 सं0	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर माउंटेड या एक ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टेकर की बीमा (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैद्य है	टिप्पणी
i.						
ii.						

7. लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद .....

8. संलग्न प्रलेखों की सूची (स्वः प्रमाणित प्रति) (हाँ/नही) :.....

दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पांलिसी अनुसूची के प्रमाण -पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं, यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिये सहमत हूं। मैं, सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिये आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिये उत्तरदायी रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू0एल0बी0 द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई यू0एल0बी0 द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकत स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेटेज का निपटान करेगा।

7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और मलकुण्ड अपशिष्ट (हिंदी में) लिखा होगा।

9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 7 दिनों पर 8 am से 6 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट–5

खण्ड (6) (v) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर पंचायत पाकबड़ा

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट

फॉर्म 2: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना निकाय (निकाय का नाम) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल–कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिये लाइसेंस इसके द्वारा अनुमति दी जाती है:

1–आवेदक का नामः (श्री/ सुश्री):.....

2–पत्राचार का पताः .....

3–निकाय (नगर निगम नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का फीकल स्लज से

सेप्टेज प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करने के लिये लाइसेंस संख्या .....

4–मान्यता वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नम्बर : (i) .....(ii).....

(iii) .....(iv).....

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें–

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू0एल0बी0 द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2 निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/ संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई यू0एल0बी0 द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5 फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6 अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7 फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और मलकुंड अपशिष्ट (हिंदी में) लिखा होगा।

9 निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर 8: am से 6: pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट–6

(खण्ड-13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

(निकाय का नाम) में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिये

दिनांक .....समय.....

1–ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1. नाम.....

2. पता.....

.....

(क) वार्ड संख्या..... (क) टेलीफोन नं

2–रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष.....

2. पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY).....

3. आउट-लेट मौजूद (हां/नहीं).....

4. यदि हां, तो किससे जुड़ा है.....

5. रोकथाम के प्रकार (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें).....

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करे
सेंप्टिक टैंक दिन		द्वीन पिट (पंक्तिबंध	
संग्रह टैंक		द्विन पिट (अनलाइन्ड	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6. रोकथाम का आकार और आकार नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

7. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेक बॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III- कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर).....

2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समयः .....

3. ट्रिप की लम्बाई (किमी).....

4. आने–जाने में समय .....

IV- कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम .....

डयूटी पर खाली स्टाफ F.S.S.T.P. ऑपरेटर.....

डयूटी पर टेंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खण्ड-21(i) और 27(ii) देखें)

होस्ट यू0एल0बी0 तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4– होस्ट यू0एल0बी0 पर उपलब्ध उपचार संयंत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिये समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका

परिषद नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिये फॉर्म फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिये, ''होस्ट यू0एल0बी0 (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत ''उपचार संयंत्र'' पर, समझौता।

प्रथम पक्ष होस्ट यू0एल0बी0 (नगर पंचायत पाकबड़ा)

द्वितीय पक्ष एक्सवायजेड यू0एल0बी0 (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंधः 1. यह कि प्रथम पक्ष दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक द्वितीय पक्ष की प्रशासनिक सीमाओं से उनके उपचार संयंत्र पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। वर्ष (अंतिम तिथि)

2. ''प्रथम पक्ष'' अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिये अपने उपचार संयंत्र पर फीकत स्लज एवं सेष्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3. यह कि ''द्वितीय पक्ष'' समझ के अनुसार ''प्रथम पक्ष'' को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. देने के लिये सहमत है।

4. यह कि ''प्रथम पक्ष'' उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6. कि ''द्वितीय पक्ष'' केवल लाइसेंसधारी फीकत स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर ''द्वितीय पक्ष''की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

परिशिष्ट–8

जुर्माना और फाइन–

क्र0 सं0	विवरण	खण्ड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा	जुर्माना (रु0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
1.1	नाता/सड़क खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50-100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50-100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10-15 प्रति दिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100-150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100-150	

1	2	3	4	5
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10-15 प्रति दिन	सम्पत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50-100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50-100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150-200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिये गैर–अनुपाल	16, 17	1,000-1,500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000-1,500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	800 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5,000-10,000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000-10,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000-1,500 प्रति दिन	सम्पत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000-10,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	50,00-10,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500-2,000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

परिशिष्ट-9

संदर्भित दस्तावेज (खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5– अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, अपीली प्राधिकार के पास

.....(पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम .....

2. आवेदक का पता.....

3. नगरपालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई

नामः..... पदः .....

4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गईः.....

5. अपील दायर करने की तारीख.....

6. सूचना विवरण

क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है।

सत्यापन

मैं, ...(अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी..... एतदद्वारा घोषित करता करती हूँ कि अपील में दिए गय विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थानः.....तिथि.....

अनुलग्नक के रूप में जमा किये गय प्रलेखः

1.....

2.....

.....यहाँ फाड़ें.....

पावती–

संख्या.....तिथिः.....

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन.....

स्थानः..... तिथिः.....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और
हस्ताक्षर आदेश से (नगर पंचायत पाकबड़ा)

(अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं
हस्ताक्षर) (नगर पंचायत पाकबड़ा)।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पाकबड़ा,
मुरादाबाद।

कार्यालय, नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा, लखीमपुर खीरी

02 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 1752/न0पं0सिं0भे0/2025-26—नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा, जनपद—खीरी द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 एवं उसमें दी गयी उपधाराओं तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों एवं निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के प्रस्ताव संख्या-11 द्वारा उपविधि बनाने हेतु अनुमोदनोपरान्त आनसाइट स्वच्छता व्यवस्था अपशिष्ट (फीकल स्लज सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डीस्लजिंग परिवहन एवं ट्रीटमेन्ट सम्बन्धी और प्रासांगिक अथवा अनुसांगिक मामलों के लिये निम्न प्रकार उपविधि तैयार कर आपत्ति एवं सुझाव प्रकाशन के दिनांक से 30 कार्यदिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आज, हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र लखनऊ एवं वायस आफ लखनऊ हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र, लखनऊ में दिनांक 02 फरवरी, 2026 को प्रकाशित कराकर मांगे गये जिस पर कार्यालय नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा, जनपद खीरी में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तत्क्रम में 02 फरवरी, 2026 को प्रकाशित उक्त नियमावाली 2025 का अन्तिम रूप से बायलाज का प्रकाशन सन्देश वाहक, हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र लखनऊ एवं लोक मित्र, हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र, लखनऊ में दिनांक 04 अप्रैल, 2026 को कराया गया।

अतः निम्नलिखित उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिये उपविधि 2025

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिये निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकार— ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है—

(क)— उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति, 2019

(ख)— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन की राष्ट्रीय नीति, 2017

(ग)— सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन 2013

(घ)— मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ)— प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट-2013

(च)— आईएस कोड-2470 भाग-I और II, 1985 (1996 रीअफर्म्ड)-सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिये कार्य व्यवहार संहिता

(छ)— केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज)— जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ)— उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता सम्बन्धी, जैसे कि यू0पी0 जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)— ये उपविधि नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा भवनों पर लागू होगा।

अध्याय-I
प्रारम्भिक

1– संक्षेप– शीर्षक, विस्तार और आरम्भ–

(i)– इन उपविधियों को फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2025 कहा जा सकता है।

(ii)– ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज–पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2– परिभाषा–

''एक्सेस कवर'' का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिये छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;

''अपेलेट बॉडी'' निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और या, कोई अन्य सम्बन्धित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से सम्बन्धित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है;

''फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट'' उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिये से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है;

''को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी'' का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिये पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;

''विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली'' का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिये प्रयुक्त होते हैं;

''नियुक्त अधिकारी'' निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिये अथवा उसे सौंपे गये किसी अन्य कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया हो;

''डिस्लजिंग'' का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;

''निस्तारण'' का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;

''एफ्लूयंट'' का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);

''फीकल स्लज एवं सेप्टेज'' का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;

'फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)'' का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;

''ग्रे वाटर'' का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;

''होस्ट यूएलबी'' का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिये जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय होस्ट बना रहेगा;

''ईनसैनिटरी लेट्रिन्स'' का तात्पर्य उन शौचालयों है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;

''लाइसेंस'' का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति है, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अन्तर्गत किया जाता है;

''लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर'' (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;

''अधिसूचित स्थान'' का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;

''ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)'' ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखण्ड पर स्थित होता;

''ऑपरेटर'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;

''मालिक'' का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;

''व्यक्ति'' का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कम्पनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कम्पनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;

''सैनिटरी लेट्रिन्स'' का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किये गये डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो;

''सेप्टिक टैंक'' भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड-2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

''शेड्यूल्ड डीस्लजिंग'' का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

''सेप्टेज'' का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किये हुये सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज।

''सीवेज'' का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

''सीवर'' वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

''सीवेज पम्पिंग स्टेशन'' का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पम्प-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पम्प करके भेजा जाता है।

''सीवेज उपचार संयंत्र'' का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

''निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी'' का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिये निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिये गये कर्मचारी।

''परिवहन या ढुलाई'' का अर्थ है लाइसेंसधारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

''उपचार'' का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिये एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिये तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

''उपचार सुविधा'' का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

''यूएलबी क्लस्टर'' का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिये होस्ट निकाय के साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

''निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक'' का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

''निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)'' ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पम्प और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिये बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये भी किया जाता है।

''अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर'' का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

''कर्मी'' का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिये नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुये हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किये गये हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय-II
अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

3– परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण–निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें अन्य के अलावा शामिल है आवासीय और व्यावसायिक, प्रस्तावित या वर्तमान) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्;

(i)– यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिये कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करे।

(ii)– अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

(iii)– यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाये, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड-2470 भाग-1 और-2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

(iv)– वे परिपत्तियाँ जो प्रतिदिन -- किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर -- वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जायें ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिये उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जायें ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III
ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4– मालिक या अभिग्राही के कर्त्व्य और अनुपालन–

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिये जिम्मेदार होंगे;

(i)– उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किये जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

5– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव–

(i)– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड-2470 भाग-1 और-2' के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय समय पर किये गये संशोधित प्रावधान अथवा नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

(ii)– ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिये जिम्मेदार होंगे।

(iii)– परिसर का मालिक नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट-2 में सुझाया गया है)।

(iv)– परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

(v)– परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

(vi)– नियमों के पालन के लिये नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिये परिसर के मालिक के लिये चेतावनी जारी कर सकता है।

(vii)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिये संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिये लाइसेंस और पंजीकरण

6– निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस–

(i)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवायें प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(ii)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा अपने कर्मियों सहित ओपेरटरों के लिये आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिये उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिये जागरुक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iii)– जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिये आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

(iv)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिये लाइसेंस जारी करेगा।

(v)– इन विनियमों के फॉर्म-2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7– लाइसेंस जारी करने की शर्तें–

(i)– लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

(ii)– आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिये या ऐसा वाहन उसे किराये पर लेना चाहिये।

(iii)– (नगर पंचायत, सिंगाही भेड़ौरा) में परिचालन के लिये वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

(iv)– आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के साथ पंजीकृत करेगा।

(v)– आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिये गये मानदंडों को पूरा करते हैं।

(vi)– आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा या उसके द्वारा किराये पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिये नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

(vii)– आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जायेगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिये आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8– लाइसेंस के लिये आवेदन– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म-1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9– लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु आमंत्रण– लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुये समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

10– लाइसेंस के लिये पंजीकरण शुल्क– नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिये समय-समय पर नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1– पंजीकरण के शुल्क और वैधता–

(i)– ऑपरेटर के रूप में नये निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 5,000/–

(ii)– पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 1 वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii)– लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 2,500/–

11– लाइंसेसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेससुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

12– जागरुकता अभियान– इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाया जायेगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13– संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जायेगा–

(i)– भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिये नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के लाइसेंसधारी ऑपरेटरों अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवायें लें।

(ii)– मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क–

(i)– समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय का नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा (परिशिष्ट-2 देखें)।

(ii)– शहर में जब कभी नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जायेगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

(iii)– लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिये अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिये निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन–

(i)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

(ii)– आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिये पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

(iii)– डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिये समय-समय पर नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

(iv)– ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(v)– वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिये) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

(vi)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जायेगा और इसका एक्सेस अधिकार [नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी] और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिये निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16– **ढुलाई के दौरान सावधानी**– लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिये डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17– **दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय**– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18– **दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी**– किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिये पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किये जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19– **नियुक्त कर्मियों के लिये सुरक्षा-उपाय**– हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस–डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिये लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20– **फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण**–

(i)– लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii)– लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

(iii)– होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21– **निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार**–

(i)– निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिये होस्ट यूएलबी बन जायेगा।

(ii)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किये गये वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(iv)– संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा किया जायेगा।

(v)– होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे ''उपचार सुविधा'' में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi)– एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि ''होस्ट यूएलबी'' को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22– **निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्त्तव्य**–

(i)– निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम) होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिये क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii)– निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii)– यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिये एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v)– होस्ट यूएलबी संग्रहीत किये जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi)– यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिये कम पड़ जाता है, तो नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा को एक नए ''होस्ट यूएलबी'' की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिये केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23– **कर्मियों का प्रशिक्षण**– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिये उत्तरदायी होगा।

24– **कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच**– यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25– **बीमा**– लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गये कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिये बीमा किया जायेगा।

26– **लाइसेंस रद्द किया जाना**– इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27– उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान–

(i)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जायेगा।

(ii)– उपचार सुविधा के अभाव में नगर पंचायत ओयल ढखवा आस पास के होस्ट यूएलबी जिसमे सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)

(iii)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खंड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28– **फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये अवसंरचना का निर्माण**– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गये फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिये अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति–

(i)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिये नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जायेगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी।]

(ii)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम ''उपचार सुविधा'' में स्थानांतरित करने या इसे ''होस्ट यूएलबी'' के ''उपचार सुविधा'' में भेजने के लिये निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं।

30– **फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय**– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर [निकाय (या होस्ट यूएलबी लागू हो)] द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जायेगा।

31– **औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है**– अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32– **फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण**– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।

33– **उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल**– निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन

34– **प्रशासन और प्रवर्तन**–

(i)– इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ [नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी] अथवा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

(ii)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिये समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिये, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिये भुगतान करना होगा।

(iii)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iv)– नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिये सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिये एक इमर्जेन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

35– **जांच के लिये विशेष शक्ति**– इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36– **नियम उल्लंघन और जुर्माना**–

(i)– इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिये नोटिस भेजा जायेगा।

(ii)– किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति– (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्त्व्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii)– इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्तिथि में एफ एस एस निकासी/ढोने के वाहन भी ज़ब्त हो सकता है।

(iv)– जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा तय किये जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

(v)– संदेह दूर करने के लिये, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिये या चूक के लिये उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37– **अपील**– निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38– **विवाद समाधान उपविधि**– इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

39– **फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन**– मानक प्रक्रिया का पालन करते हुये आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40– संदर्भ प्रलेख– उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिये, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41– डीस्लजर के लिये सम्मान/पुरस्कार– अच्छे काम और व्यवहार के लिये निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिये फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिये सम्मान/ पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42– उपविधियों के लिये पूरक राज्य सरकार के निर्देश– इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खंड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन– सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिये बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिये यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिये यह आबादी को ध्यान में रखते हुये डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गय हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिये इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गये हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिये ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन–

1– आयताकार : लंबाई और चौड़ाई का अनुपातः 2 से 4

2– गहराई : 1.0 से 2.5 मी. के बीच

3– दो कक्ष : पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3

4– तीन कक्ष : पहला कक्ष कुल लंबाई का आधार

5– मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर

6– निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार–

उपयोगकर्ता की संख्या	लंबाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल)
1	2	3	4
	मीटर–	मीटर–	मीटर–
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1– सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस वारे में जानकारी के लिये, कृपया वीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2– फ्री वोर्ड के लिये 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोतः सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल-भाग एः इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता– टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं है–

1– **अवसादन (सेडीमेंटेशन)** : निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिये प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिये 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।

2– फीकल स्लज डाइजेशन : डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए

3– फीकल स्लज और मल भंडारण : फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिये, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता 0.0002*365 = 0.073 $m3$/कैपिटा की आवश्यकता होती है।

4– फ्री बोर्ड : कम से कम 0.3 मी0

परिशिष्ट-2

(खंड 14(i) और 5(iii) देखें)

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिये उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये–
1	आवासीय	1,200
2	व्यवसायिक	1,700
3	सरकासी स्कूल/कालेज	1,200
4	निजी स्कूल/कालेज	1,700
5	सरकारी कार्यालय	1,200
6	होटल, रेस्टोरेन्ट, निजी अस्पताल	1,700
7	राइस मिल/अन्य मिल व औद्योगिक संस्थान	2,200

स्रोत– सेप्टेज प्रबंधन के लिये उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट 1– उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है

परिशिष्ट-3

(खंड 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण– कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए–

(i)– शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलियेस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

(ii)– शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट

(iii)– सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

(iv)– सेफ्टी टॉर्च

(v)– भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

(vi)– संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिये रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

(vii)– टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिये मददगार होता है

(viii)– दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है

(ix)– आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट

(x)– गैस मॉनीटर

(xi)– हेड लैंप

(xii)– गाइड पाइप सेट

(xiii)– सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

(xiv)– वेडर बूट

(xv)– एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

(xvi)– मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

(xvii)– रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खंड 6(iii) और 8 देखें)

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा लखीमपुर खीरी

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1– निकाय नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा, जनपद–खीरी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिये लाइसेंस आवेदन-पत्र।

1– आवेदक का नाम (श्री/सुश्री)–.....

2– पता–.....

.....

3– पंजीकृत कार्यालय का पता–.....

.....

.....

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदारों का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं

4– टेलीफोन नंबर (कार्यालय)–.....

(मो0)–..... ईमेल आईडी–.....

5–

मल-कीचड़ साफ करने वाले वाहनों का विवरण

क्रम सं0	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
i						
ii						
iii						
iv						

6– लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद–..... (रसीद संख्या)

7– संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)–

दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्याः–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं, कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिये सहमत हूं। मैं सहमत हूं, कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिये आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिये उत्तरदायी रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक–.....

नियम और शर्तें:–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू0एल0बी0 द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू0एल0बी0 द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में …….. तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

[खण्ड 6(v) और 8 देखें]

लाइसेंस प्रारूप

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा

फॉर्म 2– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना निकाय (निकाय का नाम) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिये लाइसेंस–

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है–

1– आवेदक का नाम (श्री/सुश्री)–.....

2– पत्राचार का पता–.....

.....

.....

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं

.....

3– निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिये लाइसेंस संख्या–.....

.

4– मान्यता–.....से–.....तक

5– वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नम्बर– (क)–..... (ख)–.....
(ग)–..... (घ)–.....

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जाएगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर …….. तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खण्ड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिये दिनांक–..... ..... समय –.....

I– ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण–

1– नाम–.....

2– पता–.....

(क)– वार्ड संख्याः–.....

(क)– टेलीफोन नं0ः–.....

II– रोकथामः–

1– निर्माण का वर्ष :–.....2– पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY)–.....

3– आउट लेट मौजूद (हां/नहीं):–.....

4– यदि हां, तो किससे जुड़ा है–.....

5– रोकथाम के प्रकारः– (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्वीन पिट (पंक्तिबध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6– रोकथाम का आकार और आकार– नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

7– संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III– कीचड़ साफ करना–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर)–.....

2– कीचड़ निकालने में लगने वाला समय–.....

3– ट्रिप की लम्बाई (किमी)–.....

4– आने-जाने में समय–.....

IV– कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरणः–

ऑपरेटर का नाम–.....

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर–.....

ड्यूटी पर टेंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खण्ड 21(i) और 27(ii) देखें)

होस्ट यू0एल0बी0 तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4– "होस्ट यू0एल0बी0" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र'' में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिये समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिये फॉर्म।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा, जनपद-खीरी की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिये, ''होस्ट यू0एल0बी0'' (होस्ट निकायका नाम) के प्रशासन के तहत ''उपचार संयंत्र'' पर, समझौता।

प्रथम पक्ष ''होस्ट यू0एल0बी0'' नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा

द्वितीय पक्ष ''एक्सवायजेड यू0एल0बी0'' (संपर्क करने वाले निकाय का नाम–.....)

उपबंध–

1– यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) तक ''द्वितीय पक्ष'' की प्रशासनिक सीमाओं से उनके ''उपचार संयंत्र'' पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। /वर्ष (अंतिम तिथि)

2– ''प्रथम पक्ष'' अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिये अपने ''उपचार संयंत्र'' पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3– यह कि ''द्वितीय पक्ष'' समझ के अनुसार ''प्रथम पक्ष'' को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 xxx देने के लिये सहमत है।

4– यह कि ''प्रथम पक्ष'' उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5– कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6– कि ''द्वितीय पक्ष'' केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर ''द्वितीय पक्ष'' की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
अधिशाषी अधिकारी का हस्ताक्षर	अधिशाषी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

क्र0 सं0	विवरण	खझड संख्या	फाइन सीमा	जुर्माना (किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रुपये–	
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50-100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50-100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओ0एस0एस0 का अवैज्ञानिक डिजायन	5	100-150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100-150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर	6	50-100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50-100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150-200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिये गैर-अनुपालन	16,17	1000-1500	

1	2	3	4	5
			रुपये–	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16,17	1000–1500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16,17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित F.S.S. प्रवाहित करना	27,28,33	5000-10000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27,28,33	5000–10000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27,28,33	1000-1500 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6,7,14,27,28,29	5000-10000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6,7,14,27,28,29	5000-10000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6,7,14,27,28,29	1500-2000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

(खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5– अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, ''अपीली प्राधिकार के पास–.....
.(पदनाम)

1– आवेदक का पूरा नामः–.....

2– आवेदक का पताः–.....

.....

.....

3– नगरपालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई

नाम–..... पद–.....

4– उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई–.....

5– अपील दायर करने की तारीखः–.....

6– सूचना विवरणः–

क– संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

ख– अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

सत्यापन

मैं, ...(अपीलकर्ता का नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी–..... ..... एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गय विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान–..... तिथि–.....

अनुलग्नक के रूप में जमा किये गय प्रलेख–

1– .....

2– .....

----------यहाँ फाड़ें----------

पावती

संख्या–..... तिथि–..... अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन.....

स्थान–..... तिथि–.....

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा,
जनपद खीरी

अध्यक्ष
नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा,
जनपद खीरी

अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर
नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा, जनपद खीरी

परिशिष्ट-10

अपील हेतु ज्ञापन

(खण्ड 37 देखें)

संदर्भित दस्तावेज– (इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिये निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है–

1– उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916

2– उत्तर प्रदेश, सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

3– बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।

4– सलाहकार नोटः शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

5– उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिये दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

6– एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश

7– आईएसः 2470–1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिये भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,

(क) (भाग।) डिजाइन शर्ते और निर्माण

(ख) (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।

8– सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

9– बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।

10– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

11– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिये उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।

13– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।

14– तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।

15– सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।

16– सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिये मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

17– फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिये उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली

18– प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा,
खीरी।

कार्यालय, नगर पंचायत काँट, शाहजहाँपुर

27 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 408/2/न०पं० काँट/2026–2027–नगर पंचायत काँट, शाहजहाँपुर अपने सीमान्तर्गत विज्ञापन शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2026 बनायी है। जिसमें आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। तत्क्रम में कार्यालय नगर पंचायत काँट, शाहजहाँपुर द्वारा इस कार्यालय के पत्रांकः–241/न०पं०कांट/2025-26 दिनांक 11-02-2026 के द्वारा दो दैनिक समाचार-पत्र ''अमर उजाला, शाहजहाँपुर एवं समृद्धि न्यूज शाहजहाँपुर'' में प्रकाशन कराकर, 15 दिवस में आमजन मानस से लिखित आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। जिसके सापेक्ष 15 दिवस के पश्चात् कार्यालय नगर पंचायत कांट, शाहजहाँपुर में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः पर्याप्त समय बीत जाने के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रकाशित की गयी उपविधि को उसी रूप में सरकारी प्रेस में गजट हेतु भेजा जा रहा है। निम्नवत उपविधि को गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा–

विज्ञापन शुल्क उपविधि–2026

1–शीर्षकः–यह नियमावली नगर पंचायत काँट, जनपद-शाहजहाँपुर ''विज्ञापन शुल्क उपविधि 2026'' कहलायेगी।

2–प्रकृतिः–यह नियमावली, उत्तर प्रदेश, साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3–परिभाषाएंः–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत काँट के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत काँट के बोर्ड से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत काँट के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत काँट,जनपद-शाहजहाँपुर से है।

(च) नगर पंचायत सीमाओं से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) "विज्ञापन" से तात्पर्य किसी ऐसे पत्र, पत्रांक, सूचना पोस्टर, कपड़े के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर चिपकाने वाले, साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसे पक्ष से है जो विज्ञापन के लिए प्रस्तुत की गई है।

(ज) "भवन" से तात्पर्य घर/दुकान/बाउन्ड्रीवॉल के प्रत्येक भाग, जिसमें बाहरी दीवारों का घेरा या भवन के किसी भाग से है, जिसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

(झ) ''विज्ञापनकर्ता ''में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित है जो विज्ञापन कार्य करने के लिए नियुक्त किये गए हों तथा फर्मो या कम्पनी के मालिक, स्वामी प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबंधक आदि जिनके लिये विज्ञापन प्रदर्शित गया है।

4–अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक नगर प्राचीन बाउन्ड्रीवॉल नगर में विद्युत या टेलीफोन के खम्बे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र जिससे किसी समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न चिपकायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न लिखेगा, न लटकायेगा, न चित्रित करेगा।

5—नगरीय सीमान्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा तथा प्राप्त आवेदन को आदर्श उपविधि में दिये गये निर्देशानुसार गुण एवं दोष के आधार पर सही पाये जाने पर ही अनुज्ञा प्रदान किये जाने सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

6—अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को जनहित में रद्द कर दे।

7—नगर पंचायत कॉंट की सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के ही खर्चे पर हटा दें और इस प्रकार किया गया व्यय नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर लिया जायेगा जिसके लिये या जिसका विज्ञापन करने के लिये यह लगवाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न छुड़वाया जाये तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित लोगों को इसके लिये सूचना देकर ऐसे विज्ञापनों को नीलाम कर सकेगा।

8—इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर लिखित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

9—दर/शुल्क—

क्र० सं०	विज्ञापन का प्रकार	देय वार्षिक शुल्क	देय मासिक शुल्क
1	2	3	4
1.	भूमि, दीवार और भवन, विद्युत तथा अन्य खम्भें, सार्वजनिक स्थल और सड़कों पर विज्ञापन पट (साइन बोर्ड, होर्डिंग, बैनर, साइनेज) के निर्माण और प्रदर्शन	राजकीय राजमार्ग पर रू० 500.00 प्रति वर्ग मी०/प्रतिवर्ष राजकीय राजमार्ग से इतर मार्गों पर रू० 400.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति वर्ष	राजकीय राजमार्ग पर रू० 50.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति माह राजकीय राजमार्ग से इतर मार्गों पर रू० 40.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति माह
2.	वॉल पेन्टिंग	राजकीय राजमार्ग पर रू० 100.00 प्रतिवर्ग मी०/ प्रतिवर्ष राजकीय राजमार्ग से इतर मार्गों पर रू० 80.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति वर्ष	— —
3.	शक्ति चलित तीन, चार पहिया वाहन एवं अन्य पर सचल विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)	हल्का वाहन (आटो रक्शिा/3, 4 व्हीलर) रू० 2,500.000 प्रति वाहन/प्रति वर्ष भारी वाहन (बस आदि) रू० 10,000.00 प्रति वाहन/प्रति वर्ष	— —
4.	ध्वनि विस्तारक यंत्र	—	200.00 रू० प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन
5.	एल०ई०डी०स्क्रीन	—	प्रथम मिनट पर 25 रु० अगले मिनट प्रति हेतु 01 रू०

1	2	3	4
6.	सड़क प्रदर्शन (रोड शो)	—	तीन पहिया– रु० 25.00 प्रतिदिन चार पहिया– रु० 250.00 प्रतिदिन छः पहिया– रु० 500.00 प्रतिदिन
7.	विद्युत और इलेक्ट्रानिक युक्ति से संचालित विज्ञापन/परिवर्तनशील संदेश	रू० 600.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति वर्ष	रू० 60.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति माह
8.	1–पोस्टर 2–पर्चा 3–पताका 4–गुब्बारे 5–छतरी (कैनोपी)	—	1– रु० 150.00 प्रति सैकड़ा 2– रु० 300.00 प्रति सैकड़ा 3– रु० 50.00 प्रति सैकड़ा 4– रु० 250 प्रतिदिन 5– रु० 250 प्रतिदिन
9.	एक स्तम्भ (यूनी पोल)	उपर्युक्त मद सं०–01 के अनुसार	उपर्युक्त मद सं०–01 के अनुसार
10.	अन्य प्रकार के विज्ञापन (जिनका आलेख ऊपर नही है।)	उपर्युक्त मद सं०–01 के अनुसार	उपर्युक्त मद सं०–01 के अनुसार

नोट– निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापानों हेतु उर्पयुक्त निर्दिष्ट दरों का 70 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

10– निजी भवनों पर पोस्टर/बैनर आदि चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी।

11– अनुज्ञा प्रदान करने की रीति– (1) सार्वजनिक नीलामी के द्वारा (2) नगर पंचायत द्वारा स्वयं।

12–यदि नगर पंचायत यह आभास करती है कि प्रदर्शित विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध है तो नगर पंचायत उसे हटा देगी।

13–दुकानों के आगे नाम पट्टिका लगे बोर्ड एवं सामाजिक संदेश देने वाले विज्ञापन पर नियमावली लागू नहीं होगी।

14– ऐसा विज्ञापन नही लगवाया जा सकता जो मनुष्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, दुसरे व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न करता हो या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर, ऐसा उत्बोधन करता/करती हो जो विवाद उत्पन्न करता हो।

15– उपरोक्त अनुसूची में विर्निष्ट कर दरें अनुवृत्ति वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रदत्त होगी के 02 वर्षो की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुयी समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

16–अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कॉट में यह अधिकार निहित होगा कि प्रस्तावित नियमावली से भिन्न किसी प्रकार के विज्ञापन शुल्क के सम्बन्ध में नियम सम्मत शुल्क का निर्धारण कर सकता।

17–नगर पंचायत काँट सीमान्तर्गत विज्ञापन दाता व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों तथा नगर पंचायत के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत काँट का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो अन्तिम होगा।

18–नगर पंचायत/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग या राज्य सरकार के द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति देय न होगी।

19–विद्युत या इलेक्ट्रानिक युक्ति से संचालित साइन बोर्ड पेड़ों/विद्युत पोलों/ट्रान्सफार्मर के खम्भों पर किसी भी दशा में दर्शित नही किये जायेंगे। क्यिास्क पट प्रत्येक खम्भे पर दो (आगे/पीछे) से अधिक नहीं लगाये जायेंगे। दो बैनरों के बीच की दूरी 1 फुट अनिवार्य होगी तथा क्रास द रोड बैनर लगाया जाना प्रतिबन्धित है।

20–उपरोक्त शर्तो में परिवर्तन–परिवर्धन करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत काँट में निहित होगा।

21–शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेश मान्य होंगे तथा नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

नोट– उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर उल्लंघन जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है। तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थ-दण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थ-दण्ड अदा न करने पर आर0सी0 जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा तथा सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

मुनारा बेगम,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत काँट, शाहजहाँपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजू सिंह पुत्र शोभा सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5106 5272 0761 में मेरा नाम राजेन्द्र सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजू सिंह पुत्र शोभा सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजू सिंह पुत्र शोभा सिंह,
ग्राम धमना लमसर पोस्ट लमसर,
जिला जालौन, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम अपर्णा शुक्ला पुत्री अभिषेक शुक्ला है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0 6381 9025 5597 में उसका नाम अक्षरा शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम अपर्णा शुक्ला पुत्री अभिषेक शक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अभिषेक शुक्ला पुत्र दिनेश कुमार शुक्ला,
कोदहूं कमलपुर,
जिला जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वेद चौधरी (Ved Chaudhary) पुत्र रमेश चन्द्र चौधरी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 8686 में उसका नाम सूर्यांश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेद चौधरी पुत्र रमेश चन्द्र चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रमेश चन्द्र चौधरी पुत्र स्व0 हरिराम,
रेहार जंगल पोस्ट बरगदवा,
जिला बस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम परी गुप्ता (PARI GUPTA) पुत्री दिनेश कुमार गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 8571 में उसका नाम आशवि गुप्ता (Ashvi Gupta) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम परी गुप्ता (PARI GUPTA) पुत्री दिनेश कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र भिखारी,
मो गोविन्द नगर सिधौली,
सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शांतनु यादव पुत्र सुरेन्द्र कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 6402 2211 4228 में उसका नाम शान्तनु यादव हिन्दी में तथा अंग्रेजी में (Shantu Yadav) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शांतनु यादव (Shantanu Yadav) पुत्र सुरेन्द्र कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुरेन्द्र कुमार यादव, पुत्र लल्लू राम यादव,
ग्राम पूरनदास खेड़ा पो0 त्रिपुरारिपुर,
जिला उन्नाव, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रूद्र प्रताप भारद्वाज पुत्र राम प्रवेश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 2325 में उसका नाम रूद्रदेव राजभर अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रूद्र प्रताप भरद्वाज पुत्र राम प्रवेश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम प्रवेश पुत्र श्री हरिश्चन्द्र,
ग्राम चोरपा खुर्द पो0 हथिनी,
तह0 सदर जनपद मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम Arunoday Singh पुत्र संतोष कुमार है जो उसके जन्म प्रमाण में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 4401 में उसका नाम Anuroday Singh अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम Arunoday Singh पुत्र संतोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संतोष कुमार पुत्र भगवान सिंह,
मकान नं0 48B स्वराज नगर पनकी,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लक्ष्य तिवारी पुत्र मणिन्द्र तिवारी है, जो कि उसके शैक्षिक अभीलेख में और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 1367 में उसका नाम लक्स तिवारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लक्ष्य तिवारी पुत्र मणिन्द्र तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मणिन्द्र तिवारी पुत्र फूलचन्द्र तिवारी,
ग्राम भरगवॉ, पोस्ट मझौवा बाबू,
हरैया, बस्ती, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आनन्द भारती (ANAND BHARTI) पुत्र अशोक कुमार (ASHOK KUMAR) है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 9008 में उसका नाम आनन्द कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आनन्द भारती (ANAND BHARTI) पुत्र अशोक कुमार (ASHOK KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अशोक कुमार पुत्र राम दुलारे,
ग्राम बरपार पोस्ट बरपार
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम एंजेल (ANGEL) पुत्री अनिल कुमार मौर्य है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 6304 में उसका नाम (ANJAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम एंजेल (ANGEL) पुत्री अनिल कुमार मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनिल कुमार मार्य पुत्र रामसिहोर मौर्य,
तेजोपुर, नौबतपुर,
चन्दौली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम ईशानी तिवारी (ISHANI TIWARI) पुत्री मनीष तिवारी है जो कि मेरे सभी शैक्षणिक अभिलेखों, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि में अंकित है, जबकि त्रुटिवश मेरा नाम आधार सं0 9128 1562 4091 में पहल तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ईशानी तिवारी (ISHANI TIWARI) पुत्री मनीष तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ईशानी तिवारी पुत्री मनीष तिवारी,
एस0ए0 15/144–62 लोहिया नगर कॉलोनी,
सारनाथ जनपद वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विमलेश (VIMLESH) पुत्र जगनारायन (JAGNARAYAN) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 7680

7590 9504 में उसका नाम विमल कुमार सिंह (VIMAL KUMAR SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विमलेश पुत्र जगनारायन (JAGNARAYAN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जगनारायन,
ग्राम बलिया खुर्द पोस्ट शिकारगंज,
जनपद चन्दौली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अलीना इशरत (ALEENA ISHRAT) पुत्री इशरत अली है। जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 2298 5245 6440 में उसका नाम अलैना इशरत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अलीना इशरत पुत्री इशरत अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इशरत अली पुत्र मोहम्मद कासिम,
7/6 मोहत्सिमगंज, परगना व तहसील सदर,
जिला प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ईशान मिश्रा पाठक (ISHAN MISHRA PATHAK) पुत्र काशी पाठक है। जो मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3858 3707 5896 में मेरे पुत्र का नाम विहान मिश्रा पाठक अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ईशान मिश्रा पाठक पुत्र काशी पाठक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

काशी पाठक,
एन 13/32ई–10ए, सरायसर्जुन,
बृज इन्क्लेव एक्सटेंशन, सुन्दरपुर,
वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्रीयांशी द्विवेदी (SHRIYANSHI DWIVEDI) पुत्री ओम नारायण द्विवेदी (OM NARAYAN DWIVEDI) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 1605 में मेरा नाम रिया द्विवेदी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्रीयांशी द्विवेदी (SHRIYANSHI DWIVEDI) पुत्री ओम नारायण द्विवेदी (OM NARAYAN DWIVEDI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

श्रीयांशी द्विवेदी पुत्री ओम नारायण द्विवेदी,
ग्राम दलपतपुर, पोस्ट गोरिंगों,
तहसील हण्डिया, जिला प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिव कुमारी पत्नी हरी लाल है, जो कि मेरे बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड, कुटुम्ब परिवार रजिस्टर, गैस-पासबुक एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 0204 में मेरा नाम राजपत्ती अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवकुमारी पत्नी हरीलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शिवकुमारी पत्नी हरीलाल,
ग्राम मैलहन पोस्ट मैलहन,
तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जज कुमार सिंह (Jaj Kumar Singh) पुत्र राम सरन (Ram Saran) है जो कि मेरे राशन कार्ड, पहचान पत्र, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेन्स, और श्रीमान् उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 7443 8659 0829 पर (Vijay Shankar) विजय शंकर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जज कुमार सिंह (Jaj Kumar Singh) पुत्र राम सरन (Ram Saran) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जज कुमार सिंह पुत्र राम सरन,
ग्राम बनवीरपुर पोस्ट गोपालपुर,
थाना कैन्ट तहसील सोहावल जनपद अयोध्या।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कृति (KRITI) पुत्री समर बहादुर (SAMAR BAHADUR) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 9677 में उसका नाम सिमरन (Simaran) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कृति (KRITI) पुत्री समर बहादुर (SAMAR BAHADUR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

समर बहादुर पुत्र भोला नाथ,
बरकी पूरे बरियार वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृतिश बिन्द (KRITISH BIND) पुत्र समर बहादुर (SAMAR BAHADUR) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 6628 में उसका नाम शमशेर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृतिश बिन्द (KRITISH BIND) पुत्र समर बहादुर (SAMAR BAHADUR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

समर बहादुर पुत्र भोला नाथ,
बरकी, पूरे बरियार वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम बिभा दास (Bibha Das) पुत्री स्व0 रमापति लाल दास था जो कि विवाह पश्चात विभा सक्सेना (Vibha Saxena) पत्नी स्व0 पवन कुमार सक्सेना हो गया है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व एस0डी0एम0 उन्नाव द्वारा जारी रिपोर्ट में अंकित है। उपरोक्त दोनो नाम मेरे ही है। भविष्य में मुझे मेरे विवाह पश्चात नाम विभा सक्सेना (Vibha Saxena) पत्नी स्व0 पवन कुमार सक्सेना के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विभा सक्सेना, पत्नी स्व0 पवन कुमार सक्सेना,
मकान नं0 16/5 पश्चिमी गंगाघाट,
शुक्लागंज, उन्नाव, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अर्जुन सिंह (ARJUN SINGH) पुत्र घनश्याम सिंह (GHANSHYAM SINGH) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 9156 में मेरा नाम सतीश यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अर्जुन सिंह (ARJUN SINGH) पुत्र घनश्याम सिंह (GHANSHYAM SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अर्जुन सिंह पुत्र घनश्याम सिंह,
ग्राम ताजपुर मांझा पोस्ट ताजपुर मांझा,
गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शाश्वत सिंह (SHASHWAT SINGH) पुत्र वरूण सिंह जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 9169 में उसका नाम ठाकुर रूद्र प्रताप सिंह चन्देल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शाश्वत सिंह (SHASHWAT SINGH) पुत्र वरूण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

वरूण सिंह पुत्र मधुसूदन सिंह,
ग्राम व पो0 कमासिन, थाना चील्ह,
तप्पा कोन, जिला मीरजापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मौर्या अन्नु अनिल पुत्री अनिल कुमार मौर्या है। जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 7688 में मेरा नाम अन्नु मौर्या अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मौर्या अन्नू अनिल (Maurya Annu Anil) पुत्री अनिल कुमार मौर्या (Anil Kumar Maurya) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मौर्या अन्नू अनिल पुत्री अनिल कुमार मौर्या,
ग्राम गरौली पोस्ट औराई थाना तहसील औराई,
जिला भदोही, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम लकी यादव (LUCKY YADAV) पुत्री दिलीप कुमार यादव (DILEEP KUMAR YADAV) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 7790 में उसका नाम लकी (LAKI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम लकी यादव (LUCKY YADAV) पुत्री दिलीप कुमार यादव (DILEEP KUMAR YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दिलीप कुमार यादव पुत्र गोकरन प्रसाद,
फक्कन का पुरवा पोस्ट भदोखर,
रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गुप्ता इन्जीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स पता 195 पटेल नगर जिला हापुड उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की साझेदारी दिनांक 22 जनवरी, 1996 को हूई थी। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2017 की साझेदारी के अनुसार

फर्म में निम्न साझेदार (1) राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 कान्ती प्रसाद अग्रवाल (2) श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री राकेश कुमार अग्रवाल (3) श्री शान्तम अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार अग्रवाल थे। संशोधित साझीदारी नामा डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार फर्म में नई साझेदार नं0 (4) श्रीमती मुस्कान जिन्दल पत्नी श्री शान्तम अग्रवाल स्वेच्छा से इस फर्म में नई साझेदार आई है तथा अब इस फर्म में क्रम से चार पार्टनर हो गये है। (1) राकेश कुमार अग्रवाल, पुत्र स्व0 कान्ती प्रसाद अग्रवाल, (2) श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री राकेश कुमार अग्रवाल (3) श्री शान्तम अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार अग्रवाल (4) श्रीमती मुस्कान जिन्दल पत्नी श्री शान्तम अग्रवाल हो गई है।

राकेश कुमार अग्रवाल,
साझेदार,
गुप्ता इन्जीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स,
195 पटेल नगर जिला हापुड उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओम कोल्ड स्टोरेज, भटौली, पोस्ट रूरा, कानपुर देहात में शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 गोविन्द प्रसाद गुप्ता नि0 ई-21, खपरा मोहाल, कानपुर का स्वर्गवास दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को हो गया है दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 से फर्म से श्री राम जी गुप्ता पुत्र स्व0 गोविन्द प्रसाद नि0 शास्त्री नगर, रूरा, कानपुर देहात एवं श्री प्रशान्त ओमर पुत्र श्री राम जी गुप्त नि0 10/01 गांधी नगर, कानपुर देहात एवं श्री शरद ओमर पुत्र श्री श्याम जी गुप्त नि0 अम्बेडकर नगर, रूरा, कानपुर देहात पार्टनर है।

राम जी गुप्त,
पार्टनर,
ओम कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम भटौली, पोस्ट रूरा, कानपुर, देहात।

सूचना

फर्म मेसर्स रिलायन्स केमिकल्स, 135 सर इकबाल स्ट्रीट, के0डी0ए0 कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर में मि0 शादाब अहमद पुत्र स्व0 शमीम अहमद नि0 डी–468 डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को रिटायर्ड हो गये है तथा मिसेज सिदरा फातिमा पत्नी मि0 नायाब अहमद नि0 डी–468 डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर शामिल हो गयी है। इस प्रकार दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 से फर्म में मिसेज जाकिया खातून पत्नी स्व0 शमीम अहमद नि0 डी–468 डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर एवं मि0 नायाब अहमद पुत्र स्व0 शमीम अहमद नि0 डी–468 डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर, एवं मिसेज सिदरा फतिमा पत्नी मि0 नायाब अहमद नि0 डी–468 डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर, पार्टनर है।

नायाब अहमद,
पार्टनर,
मेसर्स रिलायन्स केमिकल्स,
135 सर इकबाल स्ट्रीट, के0डी0ए0 कालोनी,
जाजमऊ, कानपुर नगर।

सूचना

फर्म मेसर्स–गोविन्द ग्रीन फूड्स इन्फ्राटेक, ग्राम भटौली, पोस्ट रूरा, कानपुर देहात में शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 गोविन्द प्रसाद गुप्ता नि0 ई–21, खपरा मोहाल कानपुर का स्वर्गवास दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को हो जाने के कारण दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 से फर्म में श्री रामजी गुप्ता पुत्र स्व0 गोविन्द प्रसाद गुप्ता निवासी शास्त्री नगर, रूरा, कानपुर देहात एवं श्री श्याम जी गुप्ता पुत्र स्व0 गोविन्द प्रसाद गुप्ता नि0 अम्बेडकर नगर, रूरा कानपुर देहात एवं श्रीमती बबिता गुप्ता पत्नी स्व0 धनयाम जी ओमर नि0 वार्ड नं0 2, अम्बेडकर नगर, रूरा, कानपुर देहात एवं श्री चितवन ओमर पुत्र स्व0 धनश्याम जी ओमर नि0 ई–21 खपरा मोहाल, कैण्ट, कानपुर नगर पार्टनर है।

रामजी गुप्ता,
पार्टनर मेसर्स गोविन्द ग्रीन फूॅड्स इन्फ्राटेक,
ग्राम भटौली, पोस्ट रूरा, कानपुर देहात।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स–एस0एस0 इन्फ्रा, नियर बोरा पेट्रोल पम्प चिनहट, जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें फर्म की साझेदारी में 02 साझेदार श्री सत्येन्द्र कुमार कुन्दन

एवं श्री दीपांशु यादव थे, जिसमें से दिनांक 05 जुलाई, 2026 को फर्म के द्वितीय साझेदार श्री दीपांशु यादव का निधन हो गया है तथा नई साझेदारी दिनांक 28 जुलाई, 2026 को लिखी गई जिसमें दिनांक 28 जुलाई, 2026 को एक नये साझेदार श्री शिव दर्शन यादव फर्म की साझेदारी में नये शामिल हो गये है। वर्तमान में श्री सत्येन्द्र कुमार कुन्दन एवं श्री शिव दर्शन यादव फर्म के साझेदार है।

सत्येन्द्र कुमार, कुन्दन,
एस0एस0 इन्फ्रा जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पवन यादव पुत्र राम नरेश यादव है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 9017 में मेरा नाम अक्षय कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पवन यादव पुत्र राम नरेश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पवन यादव पुत्र राम नरेश यादव,
ग्राम जराव धनुपुर हंडिया, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंशु सिंह पुत्र शिवा सिंह है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 8967 में मेरा नाम अमन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंशु सिंह पुत्र शिवा सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अंशु सिंह पुत्र शिवा सिंह,
6/8 नगर महा पालिका कालोनी दादा नगर,
उद्योग नगर कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका (Anshika) पुत्री सूरज प्रसाद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 2477 में उसका नाम आन्या प्रजापति अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका पुत्री सूरज प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूरज प्रसाद पुत्र भोलानाथ प्रजापति,
अहिमनपुर, खमरिया नं0 2,
सन्त रविदास नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जारा पुत्री जुबैर अहमद है, जो मेरे शैक्षिक अभिलखे मे अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 1021 में मेरा नाम जायरा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जारा पुत्री जुबैर अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जारा पुत्री जुबैर अहमद,
जुबैर अहमद लाई मण्डी साहबगंज कमलपुर,
पो0 आपस मुगरा बादशाहपुर,
जिला जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तौलन (TAULAN) पुत्र सरजू (SARAJU) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 6749 में मेरा नाम कन्हैया लाल (Kanhiya lal) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तौलन (TAULAN) पुत्र सरजू (SARAJU) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

तौलन पुत्र सरजू,
ग्राम इन्द्रवार पंवारी कला,
तहसील लालगंज मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम राशि वर्मा पुत्र मंगल वर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 3097 में उसका नाम दिव्यांशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम राशि वर्मा पुत्री मंगल वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मंगल वर्मा, पुत्र चन्द्रिका प्रसाद,
रामापुर भगाई रामापुर,
रामपुर भागही गोंडा उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का चलित नाम अच्युत श्रीवास्तव (Achyut Srivastav) पुत्र आशुतोष श्रीवास्तव है जो कि उसके आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 2841 व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। बेटे का स्वास्थ्यगत समस्याओं को देखते हुए हमारे ज्योतिषाचार्य की सलाह पर हमने अपने पुत्र का नाम अच्युत श्रीवास्तव से बदल कर अद्विक श्रीवास्तव रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अद्विक (ADVIK) श्रीवास्तव पुत्र आशुतोष श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आशुतोष श्रीवस्तव,
221/20ए महेन्द्र नगर, ट्रांसपोर्ट नगर,
पोस्ट–धूमनगंज, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव (Ravindra Kumar Srivastava) पुत्र कृष्ण कान्त श्रीवास्तव है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 1257 में मेरा नाम आर0 के0 श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण कान्त श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
पुत्र कृष्ण कान्त श्रीवास्तव,
396, चकदाउद नगर, नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो0 अजीम पुत्र मो0 इर्दिश है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 8030 में उसका नाम मो0 सिमरन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो0 अजीम पुत्र मो0 इर्दिश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सलमा बेगम पत्नी मो0 इर्दिश ,
दुबावल कछार गैराबाद हनुमानगंज,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो0 शोएब (MD. SHOAIB) पुत्र मो0 महबूब (MD. MAHABUB) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 5397 में मेरा नाम टाइगर खान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मो0 शेएब (MD. SHOAIB) पुत्र मो0 महबूब (MD. MAHABUB) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मो0 शोएब पुत्र मो0 महबूब,
2/792 आ विवेक खंड गोमती नगर,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व साहू (ATHARV SAHU) पुत्र अतुल कुमार साहू (ATUL KUMAR SAHU) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 7886 4763 7462 में उसका नाम अर्थव साहू (ATHRAV SAHU) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अथर्व साहू (ATHARV SAHU) पुत्र अतुल कुमार साहू (ATUL KUMAR SAHU) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अतुल कुमार साहू पुत्र ओंकार नाथ,
287/205बी/1, कसारी मसारी,
चकिया, प्रयागराज।

सूचना

मेरे पुत्र का सही नाम विभु सिंह (VIBHU SINGH) पुत्र विष्णु प्रताप सिंह (Vishnu Pratap Singh) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 3957 में उसका नाम बाबू सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विभु सिंह (VIBHU SINGH) पुत्र विष्णु प्रताप सिंह (Vishnu Pratap Singh) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

विष्णु प्रताप सिंह,
343 राहुल नगर मडिया,
आजमगढ़, पो0 आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 वंदना कुशवाहा (Km. Vandana Kushwaha) पुत्री राम बरन (Ram Baran) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 2545 6320 8263 में मेरा नाम वंदना कुशवाहा (Vandana Kushwaha) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 वंदना कुशवाहा (Km. Vandana Kushwaha) पुत्री राम बरन (Ram Baran) पत्नी अनिरूद्ध कुमार (Aniruddh Kumar) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु0 वंदना कुशवाहा पुत्री राम बरन,
पत्नी अनिरूद्ध कुमार,
ग्राम मवई कला पोस्ट कुंडा,
जनपद प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कीर्ति यादव (KIRTI YADAV) पुत्री श्रीनिवास सिंह यादव (SRINIVAS SINGH YADAV) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 3007 में उसका नाम कीरते (KRITE) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कीर्ति यादव (KIRTI YADAV) पुत्री श्रीनिवास सिंह यादव (SRINIVAS SINGH YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

श्रीनिवास सिंह यादव पुत्र डलसिंगार यादव,
टीकापुर, गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आशुतोष पाण्डेय (Ashutosh Pandey) पुत्र अरविन्द कुमार पाण्डेय है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 2922 में मेरा नाम अभय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आशुतोष पाण्डेय पुत्र अरविन्द कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आशुतोष पाण्डेय पुत्र अरविन्द कुमार पाण्डेय,
डोडापुर माफी चकिया तहसील चकिया,
चंदौली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वान्या (VANYA) पुत्री गोपाल रस्तोगी (GOPAL RASTOGI) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 2825 में उसका नाम आदया रस्तोगी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वान्या (VANYA) पुत्री गोपाल रस्तोगी (GOPAL RASTOGI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गोपाल रस्तोगी,
पुत्र स्व0 रामभरोसे लाल रस्तोगी,
158, मोहल्ला चौक शाहाबाद देहात,
हरदोई, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मोहम्मद आबिद (MOHAMMAD ABID) पुत्र इरफान अहमद (IRFAN AHMAD) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 0778 में उसका नाम मो0 आबिद अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहम्मद आबिद (MOHAMMAD ABID) पुत्र इरफान अहमद (IRFAN AHMAD) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इरफान अहमद पुत्र सिराज उल्ला,
जलालपुर घोसी तहसील,
सदर थाना एयरपोर्ट प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिराज कुमार पुत्र भीम कुमार भारतीया है। जो उसके शैक्षणिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 9160 में उसका नाम अभिकुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिराज कुमार पुत्र भीम कुमार भारतीया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

भीम कुमार भारतीया,
516/बी उॅचवागढी राजापुर,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पूर्णिमा शुक्ला पुत्री राजेश चन्द्र शुक्ला (Purnima Shukla D/o Rajesh Chandra Shukla) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 7518 8222 7064 में मेरा नाम पूर्णिमा मिश्रा (Purnima Mishra) अंकित हो गया है जो कि

गलत है। भविष्य में मेरा सही नाम पूर्णिमा शुक्ला पुत्री राजेश चन्द्र शुक्ला पत्नी अमित आनन्द मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पूर्णिमा शुक्ला पुत्री राजेश चन्द्र शुक्ला,
398/95 डी, सर्वोदय नगर,
अल्लापुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इमजेया फातिमा (Imzeya Fatima) पुत्री अब्दुल आजम है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 9007 में मेरा नाम अम्जेया फातिमा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम इमजेया फातिमा (Imzeya Fatima) पुत्री अब्दुल आजम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इमतेयाज फातिमा पुत्री अब्दुल आजम,
442 सुल्तानपुर भावा खुल्दाबाद,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इकरा अज़ीज़ (Iqra Aziz) पुत्री इम्तेयाज अहमद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 3644 में उसका नाम मंतसा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इकरा अज़ीज़ (Iqra Aziz) पुत्री इम्तेयाज अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इम्तेयाज अहमद पुत्र स्व0 मुनौवर अली,
385 रतनगंज पोस्ट डांकिनगंज,
महुआरिया मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिद्विमा यादव पुत्री जगपति यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 6775 5327 1133 में उसका नाम कृतिका अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिद्विमा यादव पुत्री जगपति यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जगपति यादव पुत्र रामदयाल यादव,
शाहापुर, भानीपुर,
जिला आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नमन साहू (NAMAN SAHU) पुत्र धनश्याम (GHANSHYAM) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 7449 में उसका नाम (NAMN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नमन साहू (NAMAN SAHU) पुत्र धनश्याम (GHANSHYAM) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

घनश्याम पुत्र मदन लाल साहू,
04 बालापुर पोस्ट शिवदयालगंज कटरा,
भोगचंद गोण्डा उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शशांक उपाध्याय पुत्र सुरेश उपाध्याय है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 3802 में मेरा नाम अंकित उपाध्याय हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शशांक उपाध्याय पुत्र सुरेश उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शशांक उपाध्याय पुत्र सुरेश उपाध्याय,
ग्राम महमदपुर, प्रतापपुर, पो0 हसनपुर,
जिला सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशु यादव (ANSHU YADAV) पुत्री राज कुमार (RAJKUMAR) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 8422 में उसका नाम शुभम (Shubham) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशु यादव (ANSHU YADAV) पुत्री राज कुमार (RAJKUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राज कुमार पुत्र राम वृक्ष,
कोंगा, दुधी, सोनभद्र, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 माया कुमारी अम्बेड़कर (KM. MAYA KUMARI AMBEDKAR) पुत्री सकलदेव प्रसाद, है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 9963 में मेरा नाम माया कुमारी अम्बेड़कर (MAYA KUMARI AMBDEKAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 माया कुमारी अम्बेड़कर पुत्री सकलदेव प्रसाद, पत्नी अशोक राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु0 माया कुमारी अम्बेड़कर,
पुत्री सकलदेव प्रसाद, पत्नी अशोक राम,
ग्राम व पो0 मिर्चा, कुसी,
दिलदारनगर, गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अच्छेलाल पुत्र नन्दलाल है, जो मेरे बुनकर परिचय–पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, निवास–पत्र, निगम प्रमाण–पत्र एवं उपजिलाधिकारी की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0 8540 5178 7977 में मेरा नाम अक्षय कुमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अच्छेलाल पुत्र नन्दलाल के नाम से पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे परिपूर्ण की पुत्री है।

अच्छेलाल पुत्र नन्दलाल,
ग्राम लखमीपुर, पोस्ट लोहता,
जनपद वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कनिष्क गिरि पुत्र आशुतोष गिरि (Kanishk Giri S/o Ashutosh Giri) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्य xxxx xxx 5760 मे मेरा नाम श्रेयांश गिरि (Shreyansh Giri) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कनिष्क गिरि पुत्र आशुतोष गिरि के जाना व पहचाना जाय ।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वय् मेरे द्वारा पूरी की गयी है।

कनिष्क गिरि पुत्र आशुतोष गिरि,
भैरोगंज पो० मधुपुर, प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम छवि सिंह (CHHAVI SINGH) पुत्री सत्येन्द्र सिंह (SATYENDRA SINGH) है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–XXXX XXXX 1904 में उसका नाम ओजस्वी सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य मे मेरी पुत्री को उसके सही नाम छवि सिंह पुत्री सत्येन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सत्येन्द्र सिंह सत्येन्द्र सिंह पुत्र रणविजय सिंह,
10/1 चक गुलाम मोहम्मद मिर्जापुर रोड
नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स हीरा राइस मिल, कस्बा व पोस्ट घौरा टांडा, जिला बरेली, उ०प्र० पिनकोड–243202 (पंजीकरण सख्या B–10998) फर्म में कुल 6 साझेदार जलील अहमद, बेदार अहमद, श्रीमती गुलरेजा बानो, मो० दानिश, मो० वासिफ व श्रीमती नाजिया थे फर्म के चार साझेदार जलील अहमद, बेदार अहमद, श्रीमती गुलरेजा बानो, श्रीमती नाजिया अपनी स्वेच्छा से दिनोंक 18 जुलाई, 2026 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब–किताब चुकता हो गया है. साझेदारों का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदारों पर कोई लेना–देना बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 2 साझेदार मो० दानिश व मो० वासिफ है। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

मो० दानिश,
साझेदार,
मेसर्स हीरा राइस मिल बरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s GARUN INDUSTRIES, 780/13, Raje Babu Road, Bulandshahar–203001 की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 23 जनवरी, 2024 के अनुसार Mr. Girish Kumar Kansal, Mr. Rajeev Goel, Mr. Ravinder Goel, Smt. Seema Kansal and Mr. Nitesh Goyal साझीदार थे। दिनांकः 21 जुलाई, 2026 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार Mr. Girish Kumar Kansal and Smt. Seema Kansal अपना हिसाब किताब ले देकर अलग हो गये है तथा 1– Mr. Rajeev Goel, 2– Mr. Ravinder Goel and 3– Mr. Nitesh Goyal साझीदार है। फर्म का पंजीकृत कार्यालय का पता H.No.-601, Kamna Jewellers Ke Samne Raje Babu Road, Tiwari Compound, Bulandshahr U.P. 203001 परिवर्तित हो गया है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजीव गोयल,
साझीदार
M/s GARUN INDUSTRIES,
780/13, Raje Babu Road, Bulandshahar.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लक्ष्मी प्रोजेक्ट्स एण्टरप्राईजेज, पता– फ्लैट 611, ब्लॉक–4, एक्सप्रेस गार्डन, 6 वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद उ०प्र० पंजीकरण संख्या– 29083–एम की फर्म साझेदारी 08 जुलाई, 2016 के अनुसार साझीदार – 1– Dr. Pravesh Bansal, 2–Mr. Ankur Bansal, 3– Mrs. Renu Bansal थे। फर्म की संशोधित साझीदारीनामा

(Amended Deed Of Partnership) दि० 04 जुलाई, 2026 के अनुसार फर्म साझीदार – 01– Dr. Pravesh Bansal, 2– Mrs. Renu Bansal सेवानिवृत्त हुये है व नवीन साझीदार Mrs. Ujjwal Rawat सम्मलित हुयी है। फर्म में वर्तमान साझीदार – 1–Mr. Ankur Bansal 2– Mrs. Ujjwal Rawat है।

Ankur Bansal,
साझीदार,
मेसर्स लक्ष्मी प्रोजेक्ट्स एण्टरप्राईजेज,
पता– फ्लैट 611, ब्लॉक–4, एक्सप्रेस गार्डन,
6 वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शान्ति देवी इन्टरप्राइजेज, पता– विलेज चिडिंया दा, माधो टांडा रोड, पीलीभीत 262001 जिसकी पंजीकरण सं०–PIL/0010385 में साझेदार श्री राजेन्द्र पाल जगोता पुत्र श्री अमर नाथ जगोता निवासी स्प्रिंगडेल कालेज कैम्पस, माधो टांडा रोड, पीलीभीत 262001, उत्तर प्रदेश का दिनांक 13 नवम्बर 2025 को आकस्मिक निधन हो गया है, फर्म में वर्तमान में कुल तीन साझेदार 1. हेमन्त जगोता पुत्र श्री राजेन्द्र पाल जगोता 2. सरोज जगोता पुत्री श्री विधा रत्न सूद 3. प्रिया जगोता पुत्री श्री परवेश आनन्द है।

Saroj Jagota,
साझेदार,
मेसर्स शान्ति देवी इन्टरप्राइजेज
विलेज चिडिंया दा,
माधो टांडा रोड, पीलीभीत, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की फर्म मेसर्स प्रवेश गुप्ता पता वार्ड नं0 3, अनोखे लाल कॉलोनी, बदायूँ उत्तर प्रदेश 243601 में साझेदार है जिसकी पंजीकरण सं०–BUD/0019140 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 01 अगस्त, 2024 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म में तीन साझेदार 1. मुजम्मिल हुसैन पुत्र श्री तस्लीम निवासी कमालपुर, फतेहाबाद मुरादाबाद उ०प्र० 244001 2. मोहम्मद यामीन पुत्र श्री मसरूर हुसैन निवासी ग्राम डोमघर फरेदी मुरादाबाद उ0प्र0 244001 3. गफ्फार हुसैन पुत्र श्री जफीर निवासी– सैफपुर चित्तू, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001 दिनांक 01 अगस्त, 2025 को स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल पॉच साझीदार कमशः 1. प्रवेश गुप्ता 2. रविन्द्र कुमार गुप्ता 3. मुजम्मिल हुसैन 4. मोहम्मद यामीन 5. गफ्फार हुसैन साझेदार हैं।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी फर्म के संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई ।

रविन्द्र कुमार गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स प्रवेश गुप्ता,
वार्ड नं0 3, अनोखे लाल कॉलोनी,
बदायूँ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s KALYANI INDANE GAS AGENCY at Araji No- 1638, Gram Chachendi, Sachendi, Kanpur Nagar 208026 के पते पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन सं० KAP/00023108 दिनांक 06 नवम्बर, 2025 है। भागीदारी डीड दिनांक 01 जून, 2026 के अनुसार फर्म के दोनों भागीदारों रत्नेश तिवारी व साक्षी तिवारी द्वारा दिनांक 06 अप्रैल, 2026 से कोई कारोबार न किये जाने के कारण फर्म को विघटित (बन्द) कर दिया गया है।

साक्षी तिवारी,
पार्टनर,
M/s KALYANI INDANE GAS AGENCY,
Araji No- 1638, Gram Chachendi,
Sachendi, Kanpur Nagar.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की फर्म गुप्ता एच एण्ड टी कांट्रेक्टर, पता– ग्राम गौतरा पट्टी भौनी, जिला बदायूँ, उत्तर प्रदेश 243631 में साझेदार है जिसकी पंजीकरण सं०–BUD/0008997 है, यह फर्म दिनांक 13 जुलाई, 2020 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य

कर रही है, उपरोक्त फर्म से साझेदार रामा धार पुत्र श्री मधुरा प्रसाद निवासी ग्राम गौतरा पट्टी भौनी जिला बदायूँ, उ०प्र० 243631 दिनांक 10 नवम्बर, 2023 को मृत्यु हो चुकी है उक्त के स्थान पर एक साझेदार अवधेश सिंह पुत्र श्री होती लाल निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा, उत्तर प्रदेश 206001 दिनांक 02 अगस्त, 2025 को स्वेच्छा से सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में उक्त फर्म में कुल दो साझेदार क्रमशः 1. केशव कुमार पुत्र श्री रामा धार 2. अवधेश सिंह पुत्र श्री होती लाल साझेदार हैं।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी फर्म के संशोधन के सम्वन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई ।

केशव कुमार,
साझेदार,
गुप्ता एच एण्ड टी कांट्रेक्टर,
ग्राम गौतरा पट्टी भौनी, जिला बदायूँ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० निशा (Km. Nisha) पुत्री हंसराज है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या xxxx xxxx 6346 में मेरा नाम निशा राजभर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० निशा पुत्री हंसराज पत्नी राजेन्द्र राजभर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु० निशा पुत्री हंसराज, पत्नी राजेन्द्र राजभर,
सुम्हाडीह, सुम्हाडीह आजमगढ़ उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रघुराज है जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हैं, त्रुटिवश मेरी पुत्री तरू सिंह के हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र, रोल नम्बर (21136304) में मेरा नाम रघुराज सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रघुराज पुत्र जय सिंह
म०नं0–20, पवन विहार कालोनी बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आद्विक सिंह (Advik Singh) पुत्र दिवाकर सिंह है। जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 5862 में उसका नाम Amay Singh अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आद्विक सिंह (Advik Singh) पुत्र दिवाकर सिंह से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिवाकर सिंह पुत्र अवधेश कुमार सिंह,
ग्राम घरौली, पोस्ट हनुमानगंज,
तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राजीव कुमार यादव पुत्र वेदांती यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 2962 में उसका नाम राजू अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राजीव कुमार यादव पुत्र वेदांती यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वेदांती यादव
मुडपेली पोस्ट पिपरा मिर्जापुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नीरज कुमार (Neeraj Kumar) पुत्र दुर्गेश कुमार है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में भी अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं–xxxx xxxx 6263 मे मेरा नाम पंकज कुमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नीरज कुमार (Neeraj Kumar) पुत्र दुर्गेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

नीरज कुमार पुत्र दुर्गेश कुमार
ग्राम करिकान धाता करिकन,
फतेहपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम यशी सिंह (YASHI SINGH) पुत्री दीपक कुमार सिंह (DEEPAK KUMAR SINGH) है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 2600 में उसका नाम दीपिका सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम यशी सिंह पुत्री दीपक कुमार सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

एतत द्वारा प्रमाणित किया किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

साधना सिंह पत्नी दीपक कुमार सिंह
ग्राम ससांरपुर, पोस्ट पिपरा,
बस्ती, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अगम्या कुमारी (AGAMYA KUMARI) पुत्री अनिल कुमार मिश्र है जो कि मेरी पुत्री के शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 7055 5047 7848 में उसका नाम अगन्या कुमारी (AGANYA KUMARI) अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अगम्या कुमारी (AGAMYA KUMARI) पुत्री अनिल कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

अनिल कुमार मिश्र पुत्र गोपाल जी मिश्र,
23ए/7 अल्का बिहार कालोनी, बमरौली,
उपरहार, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र की सही नाम अभिनव जायसवाल (ABHINAV JAISWAL) पुत्र रंग लाल (RANG LAL) है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 4602 में उसका नाम अभी जायसवाल (ABBHI JAISWAL) अकिंत हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिनव जायसवाल (ABHINAV JAISWAL) पुत्र रंग लाल (RANG LAL) के नाम से जाना व पहनाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रंग लाल पुत्र रामऔतार,
ग्राम कोहराँव पो० कुकुवार, थाना पट्टी,
प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मान्शी पुत्री सुरजीत है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0– 5031 7141 0629 में उसका नाम मनिषा प्रजापति अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मान्शी पुत्री सुरजीत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सरिता प्रजापति पत्नी सुरजीत,
ग्राम गढ़ी बाजार पो० अन्धावा,
पश्चिम शरीरा, कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सतीश प्रजापति पुत्र राम अनुज है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8738 में मेरा नाम अंकुर प्रजापति अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सतीश प्रजापति पुत्र राम अनुज के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सतीश प्रजापति पुत्र राम अनुज
ग्राम तेजापुर पोस्ट अंकारीपुर गोसाईंगंज,
फैजाबाद अयोध्या, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वैदिक वर्मा पुत्र मनीष कुमार वर्मा है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एव जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–xxxx xxxx 5479 में उसका नाम रेयांश वर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वैदिक वर्मा पुत्र मनीष कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनीष कुमार वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा,
प्लाट नं0 11 शिवपुरी बस्ती,
गली नं0 04 फरीदीनगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अब्दुल्लाह कादिर (Abdullah Qadir) पुत्र अब्दुल कादिर है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या xxxx xxxx 3430 में उसका नाम अब्दुल अरसलान अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अब्दुल्लाह कादिर पुत्र अब्दुल कादिर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

खुशनुमा बेगम पत्नी अब्दुल कादिर,
37 के/5के/2 गौस नगर करेली,
जी टी बी नगर प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नकुल सिंह पुत्र गल्झारू सिंह है, जो मेरे जमीन की खतौनी, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, लाईसेंस,

बिजली बिल व गैस कनेक्शन और उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9496 8121 2727 में मेरा नाम राजा सिंह पुत्र गल्झारू सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नकुल सिंह पुत्र गल्झारू सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये ।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नकुल सिंह पुत्र गल्झारू सिंह,
सेहरा, देवरी, पोस्ट–अकोढ़ा,
तहसील–करछना प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम KHUSHBOO MAURYA पुत्री जगदीश मौर्या है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 3527 में मेरा नाम KUSHBOO MAURYA अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम KHUSHBOO MAURYA पुत्री जगदीश मौर्या के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

खुशबू मौर्या पुत्री जगदीश मौर्या,
पल्टू का पुरवा आदर्श नगर सुलतानपुर,
सिटी सुलतानपुर उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–21 हिन्दी गजट–भाग 8–2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।